केवल शासकीय प्रयोजनार्थ
(अध्ययन क्रमांक–412)

राजस्थान सरकार

उद्योग विभाग
का
जेन्डर प्रतिसंवेदी बजट

निदेशालय मूल्यांकन संगठन
योजना भवन,
जयपुर

उद्‌बोधन

भारत में महिलाओं की स्थिति पर 1974 में स्थापित कमेटी के प्रतिवेदन पश्चात् लोक व्यय में जेन्डर परिपेक्ष्य महत्वपूर्ण होता जा रहा है। वर्ष 1992–97 की आठवीं पंचवर्षीय योजना ने सर्वप्रथम इस बात पर जोर दिया कि साधारण विकास योजनाओं से महिलाओं के विकास हेतु धन राशि का प्रवाह होना चाहिए। नवीं पंचवर्षीय योजना (1997–2002) में पूर्व में स्वीकृत धारणा को पुनः सुनिश्चित करते हुए महिला भागीदारी योजना को अपनाते हुए केन्द्र तथा राज्य सरकारों को निर्देश दिये गये कि महिला संवर्ग पर कम से कम कोष का 30 प्रतिशत महिला संबंधी कार्य के लिए निर्धारित किया जाय। दसवीं योजना ने पूर्ण दृढ़ता के साथ महिला घटक योजना एवं जेन्डर रेस्पोन्सिव बजटिंग (GRB) की सम्पूरक भूमिका के बदौलत यह सुनिश्चित किया कि महिलाओं को विकास की यात्रा में अधिकाधिक हिस्सा प्राप्त हो। सर्वप्रथम वर्ष 2001–02 के केन्द्रीय बजट में जेन्डर विश्लेषण का क्रियान्वयन किया गया।

राज्य में जन सेवाओं का लाभ महिलाओं तक कितना व किस तरह पहुँच रहा है, यह जानने के उद्धेश्य से माननीया मुख्यमंत्री ने अपने 2005–06 के बजट भाषण में जेन्डर बजटिंग एवं ऑडिटिंग की आवश्यकता एवं वर्ष 2006–07 के बजट भाषण में जेन्डर बजटिंग एवं अंकेक्षण कार्य के विस्तार की घोषणा करने पर इनकी क्रियान्विति के संदर्भ में वर्ष 2006–07 में कुल 8 विभागों को चिन्हित् किया गया क्रमशः ग्रामीण विकास, स्वायत्त शासन, जनजाति विकास, उद्योग, सहकारिता, पशुपालन, वन एवं फलोद्यान। उक्त वर्णित विभागों के प्रथम 5 विभागों का जेन्डर बजटिंग एवं ऑडिटिंग का कार्य राज्य मूल्यांकन संगठन एवं अन्तिम 3 विभागों का कार्य आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग के सहयोग से पूर्ण करवाया गया। इस बजट भाषण की अनुपालना में उद्योग विभाग का यह प्रतिवेदन तैयार किया गया है। वर्ष 2006–07 में इस प्रक्रिया के अन्तर्गत उद्योग क्षेत्र का विश्लेषण प्रस्तुत प्रतिवेदन में किया गया है। आशा है, प्रतिवेदन में दिये गये रचनात्मक सुझाव इस क्षेत्र में रूची रखने वाली शासकीय संस्थाओं एवं नीति–निर्माताओं के लिए उपयोगी सिद्ध होंगे।

तिथि : जून,2007
स्थान : जयपुर

(वी.श्रीनिवास)
शासन सचिव, आयोजना

आमुख

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 के अनुसार सामाजिक, आर्थिक एवं राजनैतिक क्षेत्र में महिलाओं को समान अवसर सुलभ करवाने का शासकीय प्रयास रहा है। देश में शिक्षा प्रसार एवं सामान्य चेतना के कारण महिलाएं भी विकास एवं नीति निर्माण क्षेत्र में सहभागी बनकर प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से योगदान देती रही है। महिलाओं के योगदान को स्वीकार करते हुये केन्द्र एवं राज्य सरकारों ने महिलाओं के विकास, सशक्तिकरण एवं समान भागीदारी हेतु प्रयास करते हुये 21वीं सदी में जेन्डर बजटिंग एवं ऑडिटिंग की अवधारणा को साकार रूप देते हुये वार्षिक बजट घोषणा पत्रों में इसको यथेष्ट स्थान दिया है।

जेन्डर बजटिंग व ऑडिटिंग अवधारणा को संक्षेप में इस प्रकार परिभाषित किया जा सकता है कि ''शासकीय बजट प्रावधान में जेन्डर गेप (दूरी) के परीक्षण उपरान्त जेन्डर हेतु आनुपातिक बजट व्यवस्था से महिला वर्ग पर पड़े प्रभावों का अंकेक्षण तथा महिलाओं को विकास की मुख्य धारा में जोड़ने की प्रतिबद्धता प्रकट करना।'' अन्य शब्दों में जेन्डर बजटिंग एवं ऑडिटिंग एक अवधारणा है। **सामान्य वित्तीय प्रक्रिया में बजट आवंटन जेन्डर बजटिंग नहीं होकर एक समेकित बजट होता है। जेन्डर बजटिंग/ऑडिटिंग के माध्यम से विभागीय बजट के विरूद्ध महिलाओं तथा बालिकाओं हेतु बजट प्रावधान तथा व्यय की प्रगति की समीक्षा की जाती है।**

उद्योग विभाग का जेन्डर बजटिंग एवं ऑडिटिंग कार्य मूल्यांकन संगठन द्वारा वर्ष 2006–07 में किया गया है। यह प्रतिवेदन उद्योग विभाग द्वारा उपलब्ध करवाई गई भौतिक एवं वित्तीय सूचना पर आधारित है।

उद्योग विभाग द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं/कार्यक्रमों की प्रगति के अवलोकन से ज्ञात होता है कि कई कार्यक्रमों में महिला लाभार्थियों का प्रतिशत कुल लाभान्वितों की तुलना में काफी कम है, अतः यह प्रयास किये जाने चाहिये कि अधिकांश व्यक्तिगत लाभकारी कार्यक्रमों में महिलाओं की भागीदारी 25–30 प्रतिशत तक हो। आशा है कि प्रतिवेदन के निष्कर्ष एवं सुझाव कार्यकारी विभाग के लिए उपयोगी सिद्ध होंगे।

तिथि : जून,2007
स्थान : जयपुर

(जी.आर.पाराशर)
निदेशक एवं पदेन उप सचिव

अनुक्रमणिका

क्र.सं.	विवरण	पृष्ठ संख्या
	निष्पादक संक्षेप	**i - vii**
1.0	**पृष्ठभूमि**	**1**
1.1	जेन्डर बजटिंग एवं ऑडिटिंग (परिभाषा)	2
1.2	जेन्डर बजटिंग–ऑडिटिंग के उद्देश्य	2
1.3	जेन्डर बजटिंग–ऑडिटिंग हेतु शासकीय प्रयास	2
1.4	जेन्डर बजटिंग व ऑडिटिंग की आवश्यकता	3
2.0	**उद्योग**	**3**
2.1	**उद्योग विभाग**	**4**
(1)	प्रधानमंत्री रोजगार योजना	4
(2)	हाथकरघा कर योजनाएं	7
	(i) दीनदयाल हाथकरघा प्रोत्साहन योजना	7
	(ii) बुनकरों हेतु नई बीमा योजना	8
	(iii) श्रिफ्ट फण्ड योजना	9
	(iv) करघाघर योजना	9
	(v) हैल्थ पैकेज योजना	10
	(vi) यार्न बैंक योजना	11
	(vii) उत्पाद विविधीकरण योजना/स्टेडी ट्यूर	11
	(viii) महात्मा गांधी बुनकर बीमा योजना	11
(3)	औद्योगिक प्रोत्साहन शिविर	12
(4)	उद्यमिता विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम	13
(5)	गृह उद्योग योजना	14
(6)	इलैक्ट्रोनिक्स वस्तुओं की रख–रखाव हेतु तकनीकी प्रशिक्षण	15
(7)	चर्म प्रशिक्षण	16
(8)	नमक उद्योग	16
(9)	नमक मजदूर आवास योजना	18
2.2	**राजस्थान खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड**	**19**
(1)	खादी कार्यक्रम	20
(2)	ग्रामोद्योग कार्यक्रम	20
(3)	ग्रामीण विधवा एवं परित्यक्ता को स्वरोजगार हेतु ऋण	21
(4)	ग्रामीण युवाओं को स्वरोजगार हेतु ऋण	21
(5)	ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम (मार्जिन मनी बैंक वित्त योजना)	22
2.3	**राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास एवं विनियोजन निगम लिमिटेड**	**24**
2.4	**राजस्थान लघु उद्योग निगम**	**25**
(1)	हस्तशिल्पियों को पुरस्कार	26
(2)	राजस्थान हस्तशिल्पी एवं दस्तकार कल्याण कोष योजना	27

2.5	**ग्रामीण गैर कृषि विकास अभिकरण (रूडा)**	**28**
(1)	ग्रामीण क्षेत्रों के दस्तकारों का स्वरोजगार हेतु क्षमतावर्द्धन	29
(2)	स्वर्ण जयन्ती ग्राम स्वरोजगार योजना	31
(3)	जिला गरीबी उन्मूलन परियोजना	32
(4)	चर्म क्षेत्र के दस्तकारों के लिए उत्पाद विकास एवं क्षमतावर्द्धन	34
(5)	बानसूर चर्म क्लस्टर	35
(6)	कोटा डोरिया क्लस्टर विकास परियोजना	36
(7)	तालछापर (जिला–चूरू) हस्तशिल्प उत्पादन परियोजना	37
(8)	दस्तकारों के कल्याण हेतु विभिन्न परियोजनाएं	38
2.6	**राजस्थान वित्त निगम**	**40**
2.7	**भारतीय शिल्प संस्थान**	**40**
2.8	**राजस्थान राज्य बुनकर सहकारी संघ लि., जयपुर**	**41**
2.9	**उद्यमिता विकास एवं प्रबन्धकीय विकास संस्थान**	**42**
3.0	**सुझाव**	**43**
4.0	**निष्कर्ष**	**44**

निष्पादक संक्षेप

I. भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 के अनुसार सामाजिक, आर्थिक एवं राजनैतिक क्षेत्र में महिलाओं को समान अवसर सुलभ करवाने का शासकीय प्रयास रहा है। देश में शिक्षा प्रसार एवं सामान्य चेतना के कारण महिलाएं भी विकास एवं नीति निर्माण क्षेत्र में सहभागी बनकर प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से योगदान देती रही है। महिलाओं के योगदान को स्वीकार करते हुये केन्द्र एवं राज्य सरकारों ने महिलाओं के विकास, सशक्तिकरण एवं समान भागीदारी हेतु प्रयास करते हुये 21वीं सदी में जेन्डर बजटिंग एवं ऑडिटिंग की अवधारणा को साकार रूप देते हुये वार्षिक बजट घोषणा पत्रों में इसको यथेष्ट स्थान दिया है।

जेन्डर बजटिंग व ऑडिटिंग अवधारणा को संक्षेप में इस प्रकार परिभाषित किया जा सकता है कि ''शासकीय बजट प्रावधान में जेन्डर गेप (दूरी) के परीक्षण उपरान्त जेन्डर हेतु आनुपातिक बजट व्यवस्था से महिला वर्ग पर पड़े प्रभावों का अंकेक्षण तथा महिलाओं को विकास की मुख्य धारा में जोड़ने की प्रतिबद्धता प्रकट करना।'' अन्य शब्दों में जेन्डर बजटिंग एवं ऑडिटिंग एक अवधारणा है। **सामान्य वित्तीय प्रक्रिया में बजट आवंटन जेन्डर बजटिंग नहीं होकर एक समेकित बजट होता है। जेन्डर बजटिंग/ऑडिटिंग के माध्यम से विभागीय बजट के विरूद्ध महिलाओं तथा बालिकाओं हेतु बजट प्रावधान तथा व्यय की प्रगति की समीक्षा की जाती है।**

उद्योग विभाग का जेन्डर बजटिंग एवं ऑडिटिंग कार्य मूल्यांकन संगठन द्वारा वर्ष 2006–07 में किया गया है। यह प्रतिवेदन उद्योग विभाग द्वारा उपलब्ध करवाई गई भौतिक एवं वित्तीय सूचना पर आधारित है।

II. उद्योग विभाग :

राज्य में उद्योग एवं हस्तशिल्प के त्वरित विकास, मार्गदर्शन व आवश्यक सहायता एवं सुविधाएँ प्रदान करने हेतु उद्योग विभाग कार्यरत है। उद्योग विभाग द्वारा क्रियान्वित योजनाओं का संक्षिप्त विवरण निम्न प्रकार है :–

(i) प्रधानमंत्री रोजगार योजना :

वर्ष 2004–05 में कुल लाभान्वितों की संख्या में महिलाओं का प्रतिशत केवल 6.5 रहा, वर्ष 2005–06 में इस प्रतिशत में कुछ वृद्धि हुई तथा यह 7.8 प्रतिशत हुआ, परन्तु वर्ष 2006–07 में 8 प्रतिशत महिलायें लाभान्वित हुई है। इस स्थिति को व्यय प्रतिशत के अनुसार देखने पर यह स्पष्ट होता है कि वर्ष 2004–05 में महिलाओं पर कुल व्यय का 5.9 प्रतिशत, वर्ष 2005–06 में 6.0 प्रतिशत एवं वर्ष 2006–07 में 6.3 प्रतिशत हुआ।

(ii) **हाथकरघा कर योजनाएं :**

(1) **दीनदयाल हाथकरघा प्रोत्साहन योजना :**

वर्ष 2004–05 में कुल लाभार्थियों में से केवल 1.3 प्रतिशत महिलाएं तथा वर्ष 2005–06 में 6.7 प्रतिशत महिलाएं लाभान्वित हुई। अतः इस योजनान्तर्गत महिला लाभार्थियों की संख्या में वृद्धि की जानी चाहिए।

(2) **बुनकरों हेतु नई बीमा योजना :**

बुनकरों हेतु नई बीमा योजना के अन्तर्गत वर्ष 2004–05 में 22.7 प्रतिशत तथा वर्ष 2005–06 में 23.6 प्रतिशत महिला बुनकर लाभान्वित की गई।

(3) **थ्रिफ्ट फण्ड योजना :**

राजस्थान राज्य बुनकर सहकारी संघ से प्राप्त सूचना के अनुसार वर्ष 2005–06 में इस योजना पर कुल 1.80 लाख रुपये व्यय किये गये। इस राशि में से 1.35 लाख रुपये पुरूषों पर तथा 0.45 लाख रुपये महिला बुनकरों पर व्यय किये गये। लाभान्वित पुरूषों की संख्या 52 तथा महिलाओं की संख्या 23 रही है अर्थात् कुल 75 लाभार्थियों में से 30.7 प्रतिशत लाभार्थी महिलायें रही है, जबकि कुल व्यय राशि का 25 प्रतिशत हिस्सा महिलाओं पर व्यय किया गया है।

(4) **करघाघर योजना :**

करघाघर योजना के अन्तर्गत लाभ प्राप्त करने वाली महिलाओं का प्रतिशत वर्ष 2004–05 में 17.1 रहा, परन्तु वर्ष 2005–06 में यह कम होकर 14.4 प्रतिशत रहा। वर्ष 2006–07 में कुल लाभार्थियों में से महिला लाभार्थियों का प्रतिशत मात्र 16.7 रहा। संदर्भित अवधि में कुल लाभ प्राप्तकर्ताओं में से महिला लाभार्थियों का प्रतिशत 16.8 रहा।

III. **उद्यमिता विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम :**

उद्यमिता विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम के अन्तर्गत वर्ष 2004–05 में महिलाओं की भागीदारी 33.6 प्रतिशत रही तथा इस ही अनुरूप व्यय किया गया। वर्ष 2005–06 में कार्यक्रम में महिलाओं की हिस्सेदारी कम होकर 26.2 प्रतिशत रही।

IV. **गृह उद्योग योजना :**

वर्ष 2004–05 में 4926 महिलाओं को विभिन्न गृह उद्योगों के लिए प्रशिक्षण दिया गया। वर्ष 2005–06 में इन महिलाओं की संख्या में वृद्धि हुई तथा यह संख्या 5621 तक पहुँच गई। वर्ष 2006–07 में 5715 महिलाओं को प्रशिक्षित किया गया।

V. इलैक्ट्रोनिक्स वस्तुओं की रख–रखाव हेतु तकनीकी प्रशिक्षण :

इलैक्ट्रोनिक्स वस्तुओं के रख–रखाव हेतु तकनीकी प्रशिक्षण में महिलाओं द्वारा अधिक रूचि नहीं दिखाई गई है। वर्ष 2004–05 में कुल 144 प्रशिक्षणार्थियों में से 17 प्रशिक्षणार्थी महिलायें थी। वर्ष 2005–06 में भी महिला प्रशिक्षणार्थियों की संख्या में वृद्धि के स्थान पर कमी हुई तथा कुल 134 प्रशिक्षणार्थियों में से महिला प्रशिक्षणार्थियों की संख्या 14 (10.4 प्रतिशत) रही। उक्त दो वर्षों की अवधि में कुल लाभार्थियों में से 31 (11.2 प्रतिशत) महिला लाभार्थी रही है। इन महिलाओं पर कुल व्यय में से 11.2 प्रतिशत राशि व्यय की गई। इस क्षेत्र में लाभार्थी महिलाओं की संख्या बढ़ाया जाना प्रस्तावित है।

VI. चर्म प्रशिक्षण :

वर्ष 2004–05 में प्रशिक्षण प्राप्त करने वाली महिलाओं की संख्या केवल 31 (20.7 प्रतिशत) थी, परन्तु वर्ष 2005–06 में प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले 191 व्यक्तियों में से महिलाओं की संख्या में गत वर्ष से लगभग तीन गुनी वृद्धि हुई तथा यह संख्या 99 (51.8 प्रतिशत) हो गई, यह एक अच्छा संकेत है। चर्म कार्य के लिए विशेष पढ़ाई की आवश्यकता नहीं होती है, अतः ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं के लिए यह रोजगार का एक अच्छा स्त्रोत बन सकता है।

VII. नमक उद्योग :

नमक उत्पादन में मजदूरी करने वाले व्यक्तियों में से अधिकांश मजदूर पुरूष होते हैं, परन्तु महिलाऐं भी इस कार्य में सहयोग करती है। उद्योग विभाग से प्राप्त सूचना के अनुसार वर्ष 2004–05 की अवधि में कुल 22000 मजदूरों में से महिलाओं की संख्या 7000 (31.8 प्रतिशत) थी, वर्ष 2005–06 में महिला मजदूरों की संख्या कम रही तथा इनका प्रतिशत 26.4 रहा। वर्ष 2006–07 में तक महिला मजदूरों का प्रतिशत 26.0 रहा।

लवण क्षेत्रों में सड़क निर्माण के लिए मजदूरी पर कार्य करने वाले मजदूरों में वर्ष 2004–05 में सड़क निर्माण के लिए 500 मजदूर लगाये गये थे इनमें से 200 अर्थात् 40 प्रतिशत मजदूर महिलाएं थी। वर्ष 2005–06 में भी महिला मजदूरों का प्रतिशत गत वर्ष के समान ही रहा। वर्ष 2006–07 में लगभग 500 मजदूर कार्यरत थे इनमें से 200 (40 प्रतिशत) महिला मजदूर थे।

VIII. नमक मजदूर आवास योजना :

नमक मजदूर आवास योजना के अन्तर्गत वर्ष 2004–05 में कुल 202 श्रमिकों को लाभान्वित किया गया, इनमें से 19 (9.4 प्रतिशत) महिला नमक मजदूरों को लाभान्वित किया गया। वर्ष 2006–07 में कुल 248 नमक मजदूरों को योजना से लाभान्वित किया गया इनमें से 35 (14.1 प्रतिशत) महिला मजदूरों को योजना का लाभ दिया गया। इस योजना में महिला श्रमिकों की संख्या में वृद्धि की जानी चाहिए।

IX. ग्रामीण विधवा एवं परित्यक्ता को स्वरोजगार हेतु ऋण :

राजस्थान खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड से प्राप्त सूचना के अनुसार वर्ष 2004–05 में 50 लाख रुपये तथा वर्ष 2005–06 एवं 2006–07 में प्रत्येक वर्ष 25 लाख रुपये की राशि आवंटित की गई थी। वर्ष 2004–05 में एवं 2005–06 में शत–प्रतिशत आवंटित राशि व्यय की गई। वर्ष 2006–07 में माह अक्टूबर,2006 तक 13.26 लाख रुपये व्यय किये गये। इस राशि से वर्ष 2004–05 में 139 महिलाओं, वर्ष 2005–06 में 124 महिलाओं को तथा वर्ष 2006–07 में माह अक्टूबर,2006 तक 29 महिलाओं को ऋण उपलब्ध करवाकर लाभान्वित किया गया।

X. ग्रामीण गैर कृषि विकास अभिकरण (रूडा) :

ग्रामीण क्षेत्रों में गैर कृषि आजीविका के साधनों का विकास करने हेतु नवम्बर,1995 में राज्य सरकार द्वारा रूडा की स्थापना की गयी। रूडा लघु उद्यमों के क्लस्टर के विकास द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में स्थायी आजीविका के साधन विकसित करने के लिए कार्य करती है। रूडा द्वारा किए जा रहे कार्यों का संक्षिप्त विवरण निम्न प्रकार है :–

(i) ग्रामीण क्षेत्रों के दस्तकारों का स्वरोजगार हेतु क्षमतावर्द्धन :

संदर्भित तीन वर्षों की अवधि में कुल लाभार्थियों में से महिला लाभान्वित दस्तकारों का प्रतिशत 43.5 रहा है लबकि पुरूष लाभान्वित शिल्पियों का प्रतिशत 56.5 रहा है। पुरूष दस्तकारों को प्रशिक्षण देने अथवा दक्षता में वृद्धि किये जाने पर कुल व्यय की 60.2 प्रतिशत राशि व्यय की गई तथा महिला दस्तकारों पर 39.8 प्रतिशत राशि व्यय की गयी।

(ii) स्वर्ण जयन्ती ग्राम स्वरोजगार योजना :

वर्ष 2004–05 में कुल लाभार्थियों में से महिला लाभान्वित दस्तकारों का प्रतिशत 48.9 रहा। वर्ष 2005–06 में इस स्थिति में वृद्धि हुई तथा लाभान्वित महिलाओं का प्रतिशत 58 हो गया। वर्ष 2006–07 में भी जनवरी,2007 तक लाभान्वित महिलाओं का प्रतिशत 58 रहा। योजना के अन्तर्गत व्यय भी लाभान्वित पुरूष दस्तकारों एवं महिला दस्तकारों की संख्या के अनुरूप ही किया गया है।

(iii) **जिला गरीबी उन्मूलन परियोजना :**

जिला गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम के अन्तर्गत 7 जिलों में किये गये कार्यों से संदर्भित अवधि में कुल 5065 व्यक्तियों को लाभ दिया गया। इनमें 3107 महिलायें तथा 1958 पुरूष है। इस स्थिति के विवरण के अनुसार वर्ष 2004–05 में 570 महिलाओं तथा 505 पुरूषों को अर्थात् 53 प्रतिशत महिलाओं को लाभान्वित किया गया। वर्ष 2005–06 में महिलाओं की भागीदारी बढ़कर 62 प्रतिशत एवं वर्ष 2006–07 में 67 प्रतिशत हो गयी।

(iv) **चर्म क्षेत्र के दस्तकारों के लिए उत्पाद विकास एवं क्षमतावर्द्धन :**

वर्ष 2005–06 एवं 2006–07 में रूडा द्वारा संचालित कार्यक्रम में कुल 742 व्यक्तियों को लाभान्वित किया गया, इनमें से 301 (40.6 प्रतिशत) महिलाएं थी। वर्ष 2005–06 में कुल लाभान्वित व्यक्तियों में से 43.7 प्रतिशत महिलाएं लाभान्वित हुई, वर्ष 2006–07 में माह जनवरी तक 30.8 प्रतिशत महिलायें चर्म कार्य में क्षमतावर्द्धन कार्यक्रम से लाभान्वित की गई है।

ग्रामीण गैर कृषि विकास अभिकरण (रूडा) द्वारा ग्रामीण क्षेत्र के दस्तकारों के हित के लिए संचालित कार्यक्रमों/योजनाओं की स्थिति/प्रगति की स्थिति का विवरण एक साथ देखने का प्रयास किया गया। इसका विवरण निम्न सारणी में उपलब्ध है :–

रूडा द्वारा संचालित कार्यक्रम में लाभान्वितों की स्थिति

क्र. सं.	वर्ष	लाभान्वित (संख्या)			व्यय (लाख रुपये)			लाभान्वित प्रतिशत		व्यय प्रतिशत	
		पुरूष	महिला	योग	पुरूष	महिला	योग	पुरूष	महिला	पुरूष	महिला
1.	2004–05	2213	2089	4302	69.63	47.41	117.02	51.4	48.6	59.5	40.5
2.	2005–06	4403	4071	8474	97.00	93.67	190.67	52.0	48.0	50.9	49.1
3.	2006–07*	3011	3043	6054	73.09	72.19	145.28	49.7	50.3	50.3	49.7
	योग	**9627**	**9203**	**18830**	**239.72**	**213.27**	**452.97**	**51.1**	**48.9**	**52.9**	**47.1**

*** जनवरी,2007 तक**

उक्त सारणी रूडा द्वारा गत 3 वर्षों की अवधि में संचालित कार्यक्रमों/योजनाओं की स्थिति स्पष्ट करती है कि महिला दस्तकारों को पर्याप्त लाभ दिया गया है। वर्ष 2004–05 में कुल लाभार्थियों में से लाभान्वित महिला दस्तकारों का प्रतिशत 48.6, वर्ष 2005–06 में 48.0, एवं वर्ष 2006–07 में जनवरी,2007 तक यह 50.3 था। गत तीन वर्षों की अवधि में कुल लाभान्वितों में से महिला लाभान्वित दस्तकारों का प्रतिशत 48.9 रहा। ग्रामीण दस्तकारों के हित के लिए वर्ष 2004–05 में कुल व्यय का 40.5 प्रतिशत, वर्ष 2005–06 में 49.1 प्रतिशत तथा वर्ष 2006–07 में 49.7 प्रतिशत हिस्सा व्यय किया गया।

XI. सुझाव :

राज्य में उद्योग क्षेत्र में महिला जेन्डर बजटिंग के सम्बन्ध में मुख्य रूप से निम्न सुझाव प्रस्तावित हैं :–

(i) उद्योग विभाग द्वारा संचालित कार्यक्रमों/योजनाओं के विवरण में महिलाओं पर किये जा रहे व्यय एवं लाभान्वित हो रही महिलाओं की संख्या के सम्बन्ध में सूचना नहीं रखी जाती है, अतः सुझाव है आगामी वर्षों में इस प्रकार की सूचना एकत्रित कर संकलित की जावें।

(ii) उद्योग विभाग द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं/कार्यक्रमों की प्रगति के अवलोकन से ज्ञात होता है कि कई कार्यक्रमों में महिला लाभार्थियों का प्रतिशत कुल लाभान्वितों की तुलना में काफी कम है, अतः यह प्रयास किये जाने चाहिये कि अधिकांश व्यक्तिगत लाभकारी कार्यक्रमों में महिलाओं की भागीदारी 25–30 प्रतिशत तक हो।

(iii) राजस्थान खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा संचालित कार्यक्रमों में लाभान्वित महिलाओं की संख्या एवं उन पर किये जा रहे व्यय की सूचना नहीं रखी जाती है। राज्य में एक बड़ी संख्या में महिलाओं द्वारा ऊन एवं सूत की कताई की जाती है। ग्रामों में बहुतायत से महिलायें गृह उद्योग के रूप में कार्यरत है तथा उनके जीवन यापन का भी एक साधन है, परन्तु बोर्ड द्वारा सूत कताई करने वाली महिलाओं की संख्या की जानकारी भी उपलब्ध नहीं करवाई जा सकी। बोर्ड द्वारा इस संख्या की जानकारी रखनी आवश्यक है।

(iv) राज्य में महिला हस्तशिल्पियों की संख्या भी अच्छी है, परन्तु राजस्थान लघु उद्योग निगम द्वारा भी यह संख्या उपलब्ध नहीं करवाई जा सकी अतः राजस्थान लघु उद्योग निगम द्वारा प्रयास कर महिला हस्तशिल्पियों की संख्या हस्तशिल्प अनुसार ज्ञात करनी चाहिये।

(v) राज्य में महिला बुनकर भी कार्यरत है, उनकी संख्या भी बुनकर संघ द्वारा एकत्रित की जानी चाहिए।

(vi) उद्योग क्षेत्र में, विशेष रूप से बड़े उद्योगों में महिलाओं की भागीदारी नगण्य रही है, इस दिशा में भी महिलाओं को प्रोत्साहन दिये जाने पर विचार किया जाना चाहिए।

(vii) उद्योग विभाग/निगमों द्वारा विभिन्न व्यक्तिगत लाभकारी योजनाओं की मोनिटरिंग के फारमेट में आवश्यक परिवर्तन कर महिला लाभार्थियों की सूचना संकलित की जानी चाहिये।

XII. निष्कर्ष :

राज्य में उद्योग एवं हस्तशिल्प के त्वरित विकास, मार्गदर्शन एवं आवश्यक सहायता व सुविधाएं उपलब्ध करवाने हेतु उद्योग विभाग कार्यरत है। जिला उद्योग केन्द्रों एवं निगमों के माध्यम से राज्य में उद्योग स्थापित करने हेतु मार्गदर्शन सहायता एवं सुविधाएं एक ही स्थान पर उपलब्ध करवायी जाती है। उद्योग विभाग एवं कार्यरत विभिन्न निगमों द्वारा संचालित कार्यक्रमों में व्यक्तिगत लाभ की योजनाएं/कार्यक्रम भी क्रियान्वित किये जा रहे हैं। इन योजनाओं में महिलाओं को भी अनुपातिक लाभ दिया जा रहा है। इनमें प्रधानमंत्री रोजगार योजना, करघाघर योजना, बुनकरों हेतु बीमा योजना, गृह उद्योग योजना, चर्म प्रशिक्षण, नमक उद्योग एवं खादी कार्यक्रम सम्मिलित है। ग्रामीण गैर कृषि विकास अभिकरण (रूडा) द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं में लाभान्वित की जा रही महिलाओं का प्रतिशत 40–45 प्रतिशत के मध्य है। उद्योग विभाग एवं निगमों द्वारा संचालित योजनाओं/कार्यक्रमों से लाभान्वित होने वाली महिलाओं की संख्या एवं व्यय की सूचना का संकलन किया जाना चाहिए ताकि स्थिति समय–समय पर विश्लेषण किया जाकर इस क्षेत्र में सकारात्मक कदम उठाये जा सके।

———

उद्योग विभाग का
जेण्डर प्रतिसंवेदी बजट

1.0 पृष्ठभूमि :

वर्ष 2001 की जनगणना अनुसार देश की कुल आबादी 102.86 करोड़ है जिसमें 53.21 करोड़ पुरूष एवं 49.65 करोड़ महिलाऐं हैं तथा लिंग अनुपात 933 (1000 पुरूष के विपरीत) एवं महिला साक्षरता दर 53.7 प्रतिशत है।

वर्ष 2001 की जनगणनानुसार राज्य की कुल जनसंख्या 5.65 करोड़ है, जिसमें 2.94 करोड़ पुरूष एवं 2.71 करोड़ महिलाऐं हैं। महिलाओं की साक्षरता 44.34 व पुरूषों की साक्षरता 76.46 है। राज्य में 1000 पुरूषों के विरूद्ध महिलाओं का लिंगानुपात 921 है, जिसमें से ग्रामीण क्षेत्र में 930 व नगरीय क्षेत्र में 890 है।

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 के अनुसार सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीति क्षेत्र में समान रूप से कार्य करने के अधिकार एवं अवसर के प्ररिप्रेक्ष्य में महिलाओं को समान अवसर सुलभ करवाने का शासकीय प्रयास रहा है। देश में शिक्षा प्रसार एवं आम जागरूकता के कारण महिलाऐं भी विकास एवं नीति निर्माण क्षेत्र में सहभागी बनकर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से योगदान देती रही हैं। महिलाओं के योगदान को स्वीकार करते हुए केन्द्र एवं राज्य सरकारों ने महिलाओं के विकास, सशक्तिकरण एवं समान भागीदारी हेतु प्रयास करते हुए 21वीं सदी में जेन्डर बजटिंग एवं ऑडिटिंग की अवधारणा को साकार रूप देते हुए वार्षिक बजट घोषणा पत्रों में इसको यथेष्ठ स्थान दिया है।

महिला वर्ग को सशक्त बनाने हेतु जेन्डर (महिला+बालिका) बजटिंग को अब एक महत्वपूर्ण साधन माना जाकर महिलाओं की विकास क्षेत्र में समान भागीदारी मानी गयी है।

1.1 जेन्डर बजटिंग एवं ऑडिटिंग (परिभाषा) :

जेन्डर बजटिंग व ऑडिटिंग अवधारणा को संक्षेप में इस प्रकार परिभाषित किया जा सकता है कि ''शासकीय बजट प्रावधान में जेन्डर गेप (दूरी) के परीक्षण उपरान्त जेन्डर हेतु आनुपातिक बजट व्यवस्था से महिला वर्ग पर पड़े प्रभावों का अंकेक्षण तथा महिलाओं को विकास की मुख्य धारा में जोड़ने की प्रतिबद्धता प्रकट करना।'' अन्य शब्दों में जेन्डर बजटिंग एवं ऑडिटिंग एक अवधारणा है। **सामान्य वित्तीय प्रक्रिया में बजट आवंटन जेन्डर बजटिंग नहीं होकर एक समेकित बजट होता है। जेन्डर बजटिंग/ऑडिटिंग के माध्यम से विभागीय बजट के विरूद्ध महिलाओं तथा बालिकाओं हेतु बजट प्रावधान तथा व्यय की प्रगति की समीक्षा की जाती है।**

उल्लेखनीय है कि जेन्डर बजटिंग का अभिप्राय महिलाओं के लिए पृथक से बजट आवंटन करना नहीं है अपितु महिलाओं की कठिनाइयों के निराकरण के साथ बुनियादी सुविधा क्षेत्रों के विस्तार हेतु बजट व्यवस्था को अभिनिर्धारित किया जाना है तथा उपलब्ध बजट की सीमान्तर्गत नियमानुसार जेन्डर (महिला+बालिका) को लाभान्वित कराते हुए आनुपातिक व्यय अपेक्षित है।

1.2 जेन्डर बजटिंग–ऑडिटिंग के उद्देश्य :

(1) आवंटित बजट के विरूद्ध व्यय का जेन्डर अनुपात को देखते हुए विश्लेषण करना।
(2) शासन द्वारा प्रायोजित योजनाओं के तहत महिला वर्ग पर व्यय उपरान्त पडे प्रभाव का आकलन करना।
(3) महिलाओं हेतु संचालित योजनाओं की प्रगति की समीक्षा करना।
(4) महिलाओं को विकास क्षेत्र की मुख्य धारा में जोड़ने एवं उनके समग्र विकास हेतु सुझावों का संकलन करना।

1.3 जेन्डर बजटिंग–ऑडिटिंग हेतु शासकीय प्रयास :

आस्ट्रेलिया पहला देश था जिसने वर्ष 1984 में जेन्डर संवेदी बजट विकसित किया था इसी प्रणाली को दक्षिणी अफ्रीका ने 1995 में अपनाया था। वर्तमान समय में जेन्डर संवेदी बजट (GRB) को 35 देशों द्वारा अपनाया जा चुका है।

भारत में महिलाओं की स्थिति पर 1974 में स्थापित कमेटी के प्रतिवेदन पश्चात् लोक व्यय में जेन्डर परिपेक्ष्य महत्वपूर्ण होता जा रहा है। वर्ष 1992–97 की आठवीं पंचवर्षीय योजना ने सर्वप्रथम इस बात पर जोर दिया कि साधारण विकास योजनाओं से महिलाओं के विकास हेतु धन राशि का प्रवाह होना चाहिए। नवीं पंचवर्षीय योजना (1997–2002) में पूर्व में स्वीकृत धारणा को पुनः सुनिश्चित करते हुए महिला भागीदारी योजना को अपनाते हुए केन्द्र तथा राज्य सरकारों को निर्देश दिये गये कि महिला संवर्ग पर कम से कम कोष का 30 प्रतिशत महिला संबंधी कार्य के लिए निर्धारित किया जाय। दसवीं योजना ने पूर्ण दृढ़ता के साथ महिला घटक योजना एवं जेन्डर रेस्पोन्सिव बजटिंग (GRB) की सम्पूरक भूमिका के बदौलत यह सुनिश्चित किया कि महिलाओं को विकास की यात्रा में अधिकाधिक हिस्सा प्राप्त हो। सर्वप्रथम वर्ष 2001–02 के केन्द्रीय बजट में जेन्डर विश्लेषण का क्रियान्वयन किया गया।

ऐसा महसूस किया गया है कि राज्यों के बजट को जेन्डर परिपेक्ष्य में विश्लेषित किया जाये क्योंकि राज्यों एवं केन्द्रशासित प्रदेशों के कोष का महत्वपूर्ण भाग सामाजिक क्षेत्र पर व्यय किया जाता है जो अंततः महिला कल्याण विकास एवं सशक्तिकरण को प्रभावित करता है।

1.4 जेन्डर बजटिंग व ऑडिटिंग की आवश्यकता :

राज्य में जन सेवाओं का लाभ महिलाओं तक कितना व किस तरह पहुँच रहा है, यह जानने के उद्धेश्य से माननीया मुख्यमंत्री ने अपने 2006–07 के बजट भाषण में जेन्डर बजट अंकेषण की आवश्यकता प्रतिपादित की है। इस बजट भाषण की अनुपालना में उद्योग विभाग का यह प्रतिवेदन तैयार किया गया है।

2.0 उद्योग :

राज्य में उद्योग क्षेत्र में निम्न विभाग एवं निगम कार्यरत है :–

(1) उद्योग विभाग
(2) राजस्थान खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड
(3) राज्य औद्योगिक विकास एवं विनियोजन निगम लि.
(4) राजस्थान लघु उद्योग निगम
(5) ग्रामीण गैर कृषि विकास अभिकरण (रूडा)
(6) राजस्थान वित्त निगम
(7) भारतीय शिल्प संस्थान
(8) राजस्थान राज्य बुनकर सहकारी संघ लि.
(9) उद्यमिता विकास एवं प्रबन्धकीय विकास संस्थान

उक्त सभी विभागों/निगमों से जेन्डर बजटिंग के सम्बन्ध में सूचना एकत्रित करने का प्रयास किया गया। इनका विवरण विभाग/निगम अनुसार निम्न अनुच्छेदों में दिया गया है।

2.1 उद्योग विभाग :

राज्य में उद्योग एवं हस्तशिल्प के त्वरित विकास, मार्गदर्शन व आवश्यक सहायता एवं सुविधाएँ प्रदान करने हेतु उद्योग विभाग कार्यरत है। कार्यालय आयुक्त, उद्योग में कार्यरत औद्योगिक मार्गदर्शन प्रकोष्ठ उद्यमियों को उद्योग लगाने हेतु उत्पादन, मशीन, तकनीक, वित्तीय व विपणन सम्बन्धी मार्गदर्शन प्रदान करता है।

जिला उद्योग केन्द्रों के माध्यम से उद्यमियों को राज्य में उद्योग स्थापित करने हेतु मार्गदर्शन सहायता एवं सुविधाएँ एक ही स्थान पर उपलब्ध कराई जाती हैं। वर्तमान में राज्य में 34 जिला उद्योग केन्द्र एवं 7 उपकेन्द्र ब्यावर, फालना, आबूरोड़, बालोतरा, मकराना, फलौदी एवं किशनगढ़ कार्यरत हैं।

उद्योग विभाग द्वारा क्रियान्वित की जा रही मुख्य योजनाओं का एवं उनमें महिलाओं की भागीदारी का विवरण निम्नानुसार है :–

(1) प्रधानमंत्री रोजगार योजना :

प्रधानमंत्री रोजगार योजना सम्पूर्ण भारत में 2 अक्टूबर,1993 से प्रारम्भ की गई है। इस योजना में 18 से 35 वर्ष की आयु के आठवीं कक्षा उत्तीर्ण युवक, युवतियाँ लाभ प्राप्त कर सकते हैं। इस प्रावधान में अनुसूचित जाति/जनजाति, भूतपूर्व सैनिक, शारीरिक रूप से अपंग एवं महिलाओं के लिये अधिकतम आयु सीमा में 10 वर्ष की शिथिलता प्रदान की गई है। प्रत्येक अभ्यार्थी को व्यापार के लिये 1.00 लाख रुपये तथा उद्योग एवं सेवा हेतु 2.00 लाख रुपये तक की परियोजना हेतु ऋण प्राप्त हो सकता है। योजनान्तर्गत व्यापार एवं सेवा कार्य हेतु 1.00 लाख रुपये तक तथा उद्योग हेतु 2.00 लाख रुपये तक की राशि के समानान्तरण ऋण हेतु गारन्टी की आवश्यकता नहीं है। युवाओं द्वारा संयुक्त रूप से प्रोजेक्ट लगाने पर 10.00 लाख रुपये तक का प्रोजेक्ट स्वीकृत करने का प्रावधान है। ऋण की वापसी 3–7 वर्ष में की जानी होती है। स्वीकृत प्रोजेक्ट पर 15 प्रतिशत राशि (अधिकतम 7500 रुपये) अनुदान के रूप में प्रदान की जाती है। प्रार्थी को योजना में ऋण की लागत का 5 प्रतिशत अंशदान (मार्जिन मनी) के रूप विनियोजन करना होता है। इस योजना में अनुसूचित जाति/जनजाति के युवाओं के लिये 22.5 प्रतिशत तथा पिछड़े वर्गों के लिये 27 प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था है। योजना के अन्तर्गत ऐसा अभ्यर्थी लाभान्वित हो सकेगा जिसके परिवार की समस्त स्त्रोतों से आय 40,000 रुपये वार्षिक से अधिक नहीं हो और वह उस स्थान का तीन वर्ष से स्थाई निवासी हो। विवाहित महिला अभ्यर्थी के लिये स्थाई निवासी हेतु ससुराल पक्ष की 3 वर्षों की अवधि में पूर्णतः छूट है। अभ्यार्थी को प्रशिक्षणोंपरान्त ही ऋण वितरण किया जाता है। अभ्यार्थी बैंक या वित्तीय संस्था का डिफाल्टर नहीं होना चाहिये। अभ्यार्थी को उद्योग वर्ग एवं सेवा के लिये 15 से 20 कार्य दिवस व व्यापार के लिये 7–10 कार्य दिवस का प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। इसके लिये उसे वृतिका भी मिलती है।

वर्ष 2004–05 से 2006–07 की सूचना निम्न सारणी में उपलब्ध है :–

सारणी संख्या–1
प्रधानमंत्री रोजगार योजनान्तर्गत लाभार्थियों की गत तीन वर्षों (2004–05 से 2006–07) की प्रगति

क्र. सं.	वर्ष	लाभान्वित (संख्या)			व्यय (लाख रुपये)			लाभान्वितों का प्रतिशत		व्यय का प्रतिशत	
		पुरूष	महिला	योग	पुरूष	महिला	योग	पुरूष	महिला	पुरूष	महिला
1.	2004–05	17262	1179	18441	97.28	6.13	103.41	94.84	6.47	94.07	5.93
2.	2005–06	17666	1459	19125	119.25	7.58	126.83	94.47	7.80	94.02	5.98
3.	2006–07	18385	1539	19924	119.72	8.00	127.72	95.75	8.01	93.74	6.26

चित्र संख्या–1
प्रधानमंत्री रोजगार योजनान्तर्गत लाभान्वित पुरूष एवं महिलाओं की संख्या

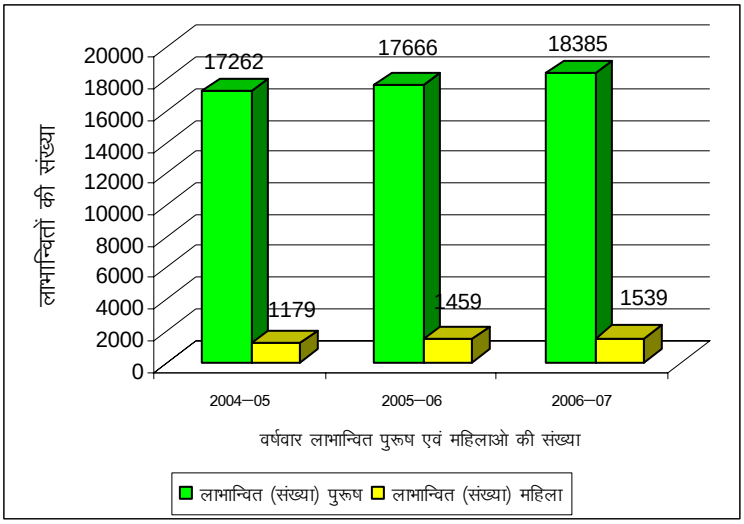

उक्त सारिणी अनुसार वर्ष 2004–05 में लाभान्वित कुल 18441 व्यक्तियों में 1179 महिला अभ्यार्थी थी। विभाग द्वारा लाभान्वित व्यक्तियों पर कुल प्राप्त बजट रुपये 130.65 लाख में से रुपये 103.41 लाख व्यय किये गये, जो प्राप्त बजट का 79.15 प्रतिशत था, जिनमें से महिलाओं पर कुल व्यय में से रुपये 6.13 लाख व्यय किये गये, जो कुल व्यय का 5.93 प्रतिशत था। शेष 73.22 प्रतिशत व्यय पुरूष वर्ग पर किया गया। वर्ष 2005–06 में लाभान्वित कुल 19125 व्यक्तियों में से 1459 महिला अभ्यार्थी थी। लाभान्वित व्यक्तियों पर कुल प्राप्त बजट रुपये 137.21 लाख में से रुपये 126.83 लाख व्यय किये गये, जो प्राप्त बजट का 92.43 प्रतिशत था, जिनमें से महिलाओं पर कुल व्यय में से रुपये 7.59 लाख व्यय किये गये, जो कुल व्यय का 5.98 प्रतिशत था। शेष 86.45 प्रतिशत व्यय पुरूष वर्ग पर किया गया। वर्ष 2006–07 में लाभान्वित कुल

19924 व्यक्तियों में 1539 महिला अभ्यार्थी हैं। लाभान्वित व्यक्तियों पर कुल प्राप्त बजट रुपये 135.28 लाख में से अनुमानित रुपये 127.72 लाख व्यय किये गये जो प्राप्त बजट का 94.41 प्रतिशत है, जिनमें से महिलाओं पर कुल व्यय में से रुपये 8.00 लाख अनुमानित व्यय किये गये, जो कुल व्यय का 6.26 प्रतिशत हैं शेष 88.15 प्रतिशत व्यय पुरूष वर्ग पर किया गया।

प्रधानमंत्री रोजगार योजना युवक/युवतियों को अपना रोजगार प्रारम्भ करने के लिए एक अवसर उपलब्ध करवाती है। इसमें युवक/युवतियों को समान अवसर प्राप्त है फिर भी युवतियों का लाभान्वित प्रतिशत बहुत ही कम है। इसके लिए यह देखने का प्रयास किया गया कि क्या युवतियाँ इस योजना से लाभ प्राप्त करने के लिए प्रयास भी करती है अथवा नहीं ? इस सम्बन्ध में प्राप्त सूचना का विवरण निम्न सारणी में उपलब्ध है :–

सारणी संख्या–2

प्रधानमंत्री रोजगार योजनान्तर्गत महिलाओं को ऋण स्वीकृति की स्थिति

क्र सं.	वर्ष	प्रार्थना पत्र प्राप्त			बैंकों को भेजे गये			ऋण स्वीकृत			ऋण वितरण		
		कुल	महिला	लाभान्वित महिला प्रतिशत	कुल	महिला	लाभान्वित महिला प्रतिशत	कुल	महिला	लाभान्वित महिला प्रतिशत	कुल	महिला	लाभान्वित महिला प्रतिशत
1.	2003–04	28713	1945	6.8	22669	1643	7.2	10651	1006	9.4	7377	681	9.2
2.	2004–05	33080	2293	6.9	23283	1845	7.9	12003	1179	9.8	7697	751	9.8
3.	2005–06	34580	2567	7.4	24650	1995	8.1	13251	1459	11.0	8117	846	10.4
4.	2006–07*	35052	2170	6.2	33493	1935	5.8	14282	966	8.2	4649	268	5.8

*** दिसम्बर,2006 तक**

उक्त सारणी से निम्न तथ्य उभर कर सामने आते है :–

- प्रधानमंत्री रोजगार योजना के अन्तर्गत राज्य स्तर पर प्राप्त सूचना के अनुसार कुल प्राप्त होने वाले प्रार्थना पत्रों में से महिलाओं द्वारा दिये गये प्रार्थना पत्रों का प्रतिशत वर्ष 2003–04 में 6.8, वर्ष 2004–05 में 6.9 तथा 2005–06 में 7.4 प्रतिशत रहा है अर्थात् बहुत ही कम संख्या में युवतियों द्वारा इस योजना के लिए प्रार्थना पत्र दिया जाता है।
- प्रधानमंत्री रोजगार योजना के अन्तर्गत आवेदन करने वाली महिलाओं के प्रार्थना पत्रों पर विचार कर ऋण स्वीकृति हेतु विभिन्न बैकों को भेजे गये आवेदन पत्रों का वर्ष 2003–04 में 7.2, वर्ष 2004–05 में 7.9 तथा 2005–06 में 8.1 रहा। इस स्थिति से स्पष्ट है कि लगभग कुल आवेदकों में से 8 प्रतिशत महिलाओं को लाभान्वित करने के लिए प्रार्थना पत्र बैकों को अग्रेषित किये गये।
- योजनान्तर्गत लाभ प्राप्त करने वाले लाभान्वितों में से वर्ष 2003–04 में 9.2 प्रतिशत, वर्ष 2004–05 में 9.8 प्रतिशत तथा वर्ष 2005–06 में 10.4 प्रतिशत महिलायें रही है। यद्यपि लाभान्वित महिलाओं की भागीदारी इस योजना में कम रही है, परन्तु यह देखा जा सकता है कि स्वरोजगार योजना में महिलायें हिस्सा ले रही हैं।

- माह दिसम्बर,2006 तक योजनान्तर्गत स्वरोजगार हेतु 35052 बेरोजगार युवक/युवतियों द्वारा आवेदन किया गया, इनमें से 2170 (6.2 प्रतिशत) महिलायें रही हैं। स्वरोजगार हेतु ऋण उपलब्ध करवाने के लिए 33493 आवेदकों के प्रार्थना पत्र परीक्षण के बाद बैकों को प्रेषित किये गये, इनमें से 1935 (5.8 प्रतिशत) आवेदन पत्र युवतियों के हैं।
- योजनान्तर्गत 14282 आवेदकों के ऋण बैकों द्वारा स्वीकृत किये गये, इनमें महिलाओं के 966 (8.2 प्रतिशत) प्रार्थना पत्र थे। अन्त में माह दिसम्बर,2006 तक बैकों द्वारा 4649 बेरोजगार युवक–युवतियों को स्वरोजगार हेतु ऋण उपलब्ध करवाया गया, इनमें महिला/युवतियों की संख्या 268 (5.8 प्रतिशत) रही है।

(2) हाथकरघा कर योजनाएं :

(i) दीनदयाल हाथकरघा प्रोत्साहन योजना :

दीनदयाल हाथकरघा प्रोत्साहन योजना को भारत सरकार ने 1–4–2000 से प्रभावी बनाया है तथा योजना के तहत आधारभूत ढांचा, डिजाइन, विपणन, अनुसंधान, बाजार विकास सहायता एवं सामुदायिक क्षमता के विकास आदि घटकों के लिये सहायता उपलब्ध करायी जाती है। योजना की स्वीकृति के लिये राज्य स्तरीय समिति का गठन किया हुआ है, लेकिन अधिकांश मदों में योजना में उपलब्ध करवाई गई सहायता को बैंक ऋण के साथ जोड़ा गया है। अतः बैकों द्वारा ऋण स्वीकृति का पत्र प्रारम्भ में ही प्राथमिक सहकारी समितियों के पक्ष में जारी करने में आ रही कठिनाइयों के कारण इस योजना में अपेक्षित प्रगति नहीं हो रही है। वित्तीय वर्ष 2004–05 में 20.00 लाख रुपये आयोजना मद में तथा 38.91 लाख रुपये केन्द्रीय प्रवर्तित योजना मद में व्यय किये गये हैं। वर्ष 2006–07 में 92.82 लाख रुपये आयोजना मद में तथा 2.22 लाख रुपये केन्द्रीय प्रवर्तित योजना के अन्तर्गत व्यय किये गये।

वर्ष 2004–05, 2005–06 एवं 2006–07 में लाभन्वितों की स्थिति निम्न प्रकार रही है :–

सारणी संख्या–3

दीनदयाल हाथकरघा प्रोत्साहन योजना

(संख्या)

वर्ष	कुल	महिला	महिला लाभार्थी (प्रतिशत)
2004–05	11644	146	1.3
2005–06	2863	192	6.7
2006–07	1260	320	14.81

उक्त सारणी में उपलब्ध सूचना के अनुसार योजनान्तर्गत वर्ष 2004–05 में कुल लाभार्थियों में से केवल 1.3 प्रतिशत महिलायें लाभान्वित हो सकी तथा वर्ष 2005–06 में महिला लाभार्थियों का यह प्रतिशत 6.7 हो गया। अतः इस योजनान्तर्गत महिला लाभार्थियों की संख्या में वृद्धि की जानी चाहिए। वर्ष 2006–07 में महिला लाभार्थियों का यह 14.81 प्रतिशत रहा।

(ii) बुनकरों हेतु नई बीमा योजना :

वस्त्र मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा वर्ष 1997–98 से बुनकरों के लिये नई बीमा योजना शुरू की गई है। यह योजना जिला उद्योग केन्द्रों के माध्यम से क्रियान्वित की जा रही है। इस योजना के अन्तर्गत बुनकर का बीमा एक वर्ष के लिये होता है, जिसका प्रीमियम 120/– रुपये निर्धारित है। प्रीमियम राशि का 60/– रुपये भारत सरकार द्वारा, 40/– रुपये राज्य सरकार द्वारा एवं 20/– रुपये बुनकर द्वारा वहन किया जाता है। बीमा पॉलिसी यूनाइटेड इण्डिया इन्श्योरेन्स कम्पनी लि. के माध्यम से जारी होती है। इस योजनान्तर्गत 18 से 70 वर्ष की उम्र वाले बुनकर पात्रता रखते हैं। योजना में बुनकर निम्नानुसार लाभान्वित होता है :–

क्र.सं.	मद	बीमित राशि (रुपयों में)
प्रथम भाग		
1.	बुनकरों के मकान/कार्यशाला में आग लगने से नुकसान होने पर	10000
2.	बुनकर का कच्चा माल, तैयार माल तथा करघा एवं अन्य हाथकरघा सम्बन्धी उपकरण आग से नष्ट होने पर	10000
द्वितीय भाग		
1.	दुर्घटना से मृत्यु होने पर या दोनों पैर अथवा दोनों आँखे या एक पैर और एक आँख के नुकसान पर अथवा पूर्ण रूप से चोट/दुर्घटना से अक्षम होने पर	100000
2.	एक पैर अथवा एक हाथ या एक आँख के नुकसान पर	50000
तृतीय भाग		
1.	अस्पताल में चोट अथवा बीमारी के कारण भर्ती होने पर	2000
2.	आँखों की जाँच एवं चश्मा क्रय हेतु	190
3.	महिला बीमाधारियों को प्रसूति हेतु (दो जीवित बच्चों तक)	750

वर्ष 2004–05 एवं वर्ष 2005–06 में नवीन बीमा योजना के अन्तर्गत लाभ प्राप्तकर्ताओं की स्थिति का विवरण निम्न सारणी में उपलब्ध है :–

सारणी संख्या–4
बुनकरों हेतु नवीन बीमा योजना

(संख्या)

क्र.सं.	वर्ष	लाभार्थियों की संख्या			महिला लाभार्थी (प्रतिशत)
		पुरूष	महिला	योग	
1.	2004–05	5206	1530	6736	22.7
2.	2005–06	1225	378	1603	23.6
	योग	**6431**	**1908**	**8339**	**22.9**

यह सारणी दो वर्षों में नवीन बीमा योजना के अन्तर्गत लाभान्वित महिलाओं की संख्या दर्शाती है जिसके अनुसार लगभग कुल लाभान्वितों में से 22.9 प्रतिशत महिलायें लाभान्वित हुई है। इन लाभान्वित महिलाओं को कितनी वित्तीय मदद प्राप्त हुई की, जानकारी प्राप्त नहीं हो सकी है। भारत सरकार ने वर्ष 2006–07 से यह योजना समाप्त कर दी है।

(iii) थ्रिफ्ट फण्ड योजना :

हाथकरघा बुनकरों के कल्याणार्थ बचत को बढ़ावा देने के उद्देश्य से बुनकर की बुनाई मजदूरी में से 8 प्रतिशत अंश, 4 प्रतिशत राज्य सरकार से एवं 4 प्रतिशत राशि केन्द्र सरकार से बुनकर के खाते में जमा कराई जाती है। योजना का क्रियान्वयन राजस्थान राज्य हाथकरघा निगम तथा राजस्थान राज्य बुनकर सहकारी संघ के माध्यम से किया जा रहा है।

राजस्थान राज्य बुनकर सहकारी संघ से प्राप्त सूचना के अनुसार वर्ष 2005–06 में इस योजना पर कुल 1.80 लाख रुपये व्यय किये गये। इस राशि में से 1.35 लाख रुपये पुरूषों पर तथा 0.45 लाख रुपये महिला बुनकरों पर व्यय किये गये। लाभान्वित पुरूषों की संख्या 52 तथा महिलाओं की संख्या 23 रही है अर्थात् कुल 75 लाभार्थियों में से 30.7 प्रतिशत लाभार्थी महिलायें रही है, जबकि कुल व्यय राशि का 25 प्रतिशत हिस्सा महिलाओं पर व्यय किया गया है। वर्ष 2006–07 में संघ को 1.50 लाख रुपये की राशि जारी की गई।

(iv) करघाघर योजना :

करघाघर योजना के अन्तर्गत करघा निर्माण हेतु शहरी क्षेत्र में 10,000/– रुपये तथा ग्रामीण क्षेत्र में 7,000/– रुपये का अनुदान उपलब्ध करवाया जाता है। योजना के अन्तर्गत वर्ष 2004–05 से वर्ष 2006–07 तक उपलब्ध करवाये गये अनुदान की स्थिति निम्न सारणी में उपलब्ध है :–

सारणी संख्या–5
करघाघर योजना की स्थिति

(संख्या)

क्र.सं.	वर्ष	लाभार्थियों की संख्या			महिला लाभार्थी (प्रतिशत)
		पुरूष	महिला	योग	
1.	2004–05	706	146	852	17.1
2.	2005–06	666	112	778	14.4
3.	2006–07	572	115	687	16.74
	योग	**1944**	**373**	**2217**	**16.82**

चित्र संख्या–2
करघाघर योजना में लाभान्वित पुरूष एवं महिलाओं की संख्या

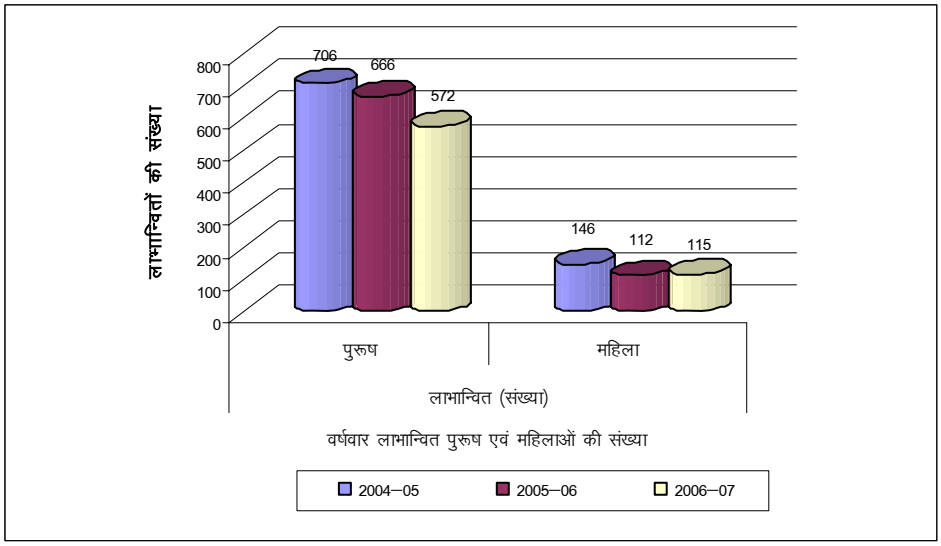

यह सारणी स्पष्ट करती है कि करघाघर योजना के अन्तर्गत लाभ प्राप्त करने वाली महिलाओं का प्रतिशत वर्ष 2004–05 में 17.1 रहा, परन्तु वर्ष 2005–06 में यह कम होकर 14.4 प्रतिशत रहा। वर्ष 2006–07 में कुल लाभार्थियों में से महिला लाभार्थियों का प्रतिशत 16.74 रहा। संदर्भित अवधि में कुल लाभ प्राप्तकर्ताओं में से महिला लाभार्थियों का प्रतिशत 16.82 रहा।

(v) हैल्थ पैकेज योजना :

योजना के अन्तर्गत मुख्यतः बुनकरों को बीमारियों के उपचार हेतु सहायता उपलब्ध कराई जाती है। आँखों की जाँच, चश्मा, प्रसूति, टी.बी., अस्थमा आदि के लिये सहायता दी जाती है। बुनकरों की सघन बस्ती में बोरवेल एवं ए.एन.एम. सेन्टर के निर्माण किये जाने का भी योजना में प्रावधान है। शत–प्रतिशत केन्द्रीय प्रवर्तित योजना

के तहत वर्ष 2004–05 में 733 बुनकरों को लाभान्वित किया गया इनमें से 200 महिलायें लाभार्थी थी। वर्ष 2005–06 में हैल्थ पैकेज के स्थान पर भारत सरकार द्वारा स्वास्थ्य बीमा योजना लागू की गई है। योजनान्तर्गत 200 रुपये बुनकर अंशदान एवं 800 रुपये केन्द्र सरकार का अंशदान निर्धारित है। बीमित बुनकर को स्वयं, पत्नी तथा दो बच्चों की 15,000 रुपये की सीमा में चिकित्सा परिचर्या का प्रावधान है। वर्ष 2006–07 में कुल 5501 बुनकरों को लाभान्वित किया गया जिसमें 1985 महिला लाभार्थी रही है।

(vi) **यार्न बैंक योजना :**

यार्न बैंक योजना के अन्तर्गत वर्ष 2004–05 में कुल 138 बुनकरों को लाभान्वित किया गया। इन लाभान्वित बुनकरों में से 20 (14.5 प्रतिशत) महिला बुनकरों को लाभान्वित किया गया। वर्ष 2005–06 एवं 2006–07 में क्रमशः 2338, 3445 बुनकरों को लाभान्वित किया गया। यार्न बैंक योजना में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाई जानी चाहिए।

(vii) **उत्पाद विविधीकरण योजना/स्टेडी ट्यूर :**

हाथकरघा बुनकरों की डिजायन एवं टैक्नीकल उत्पादों एवं उत्पादन क्षमता के विकास हेतु योजनान्तर्गत देश के अन्य राज्यों में कार्यरत हाथकरघा इकाइयों/समितियों का राज्य सरकार के व्यय पर बुनकरों द्वारा अध्ययन किया जाता है। वर्ष 2004–05 में 23 बुनकरों द्वारा पश्चिम बंगाल की हाथकरघा इकाइयों के अध्ययन हेतु भेजा गया, यात्रा पर 1.04 लाख रुपये की राशि व्यय की गई। वर्ष 2005–06 में बुनकरों के दो दलों को तमिलनाडु एवं आन्ध्रप्रदेश की यात्रा पर भेजा गया है, इन दलों में दो महिला बुनकर भी थी। वर्ष 2006–07 में 50 बुनकरों को इस योजना का लाभ दिया जाना प्रस्तावित है। इस योजना में महिलाओं की भागीदारी को बढ़ाया जाना चाहिए।

(viii) **महात्मा गांधी बुनकर बीमा योजना :**

प्रधानमंत्री की 15 अगस्त,2002 की 1.00 लाख बुनकरों/दस्तकारों के बीमा करने की घोषणा की अनुपालना में विकास आयुक्त (हाथकरघा) द्वारा दिसम्बर,2003 में ''बुनकर बीमा योजना'' प्रारम्भ की गई है, जो कि जनश्री बीमा योजना एवं समूह बीमा योजना के रूप में प्रारम्भ की गई। भारत सरकार द्वारा दिनांक 19–9–2005 से जनश्री एवं समूह बीमा योजना बन्द कर इसके स्थान पर महात्मा गांधी बुनकर बीमा योजना लागू की गई है।

योजना के उद्देश्य :

I. प्राकृतिक/दुर्घटना मृत्यु पर बुनकर को बीमा कवर देना।

II. बुनकरों के बच्चों की जो नवीं एवं बारहवीं कक्षा तक अध्ययनरत छात्रों को स्कालरशिप देने का प्रावधान।

योग्यता :

I. इस योजना में भाग लेने के लिये बुनकर अपनी मजदूरी का 50 प्रतिशत बुनाई से प्राप्त करता हो।

II. 18 से 59 वर्ष उम्र के सभी बुनकर पात्र हैं।

वर्ष 2006–07 में कुल 5781 लाभार्थियों में 1381 लाभार्थी महिला रही है।

योजना का लाभ :

I. सदस्य की मृत्यु पर नामित व्यक्ति को 20000/– रुपये दिये जायेंगे।

II. दुर्घटनावश मृत्यु पर अथवा दुर्घटना के कारण स्थाई अथवा आंशिक शारीरिक अक्षमता होने पर।

योजनान्तर्गत योजना में निम्नानुसार प्रावधान है :–

1.	दुर्घटनावश मृत्यु पर नामित व्यक्ति को	80000/–रुपये
2.	दुर्घटनावश स्थाई अपंगता	50000/–रुपये
3.	दुर्घटनावश दोनों आँखे/अंग या एक आँख व एक अंग खराब होने पर	50000/–रुपये
4.	एक आँख अथवा एक अंग भंग होने पर	50000/–रुपये

योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2004–05 में 2500 बुनकरों का बीमा कराये जाने के लक्ष्य के सापेक्ष 1949 बुनकरों का बीमा कराया गया हैं। वर्ष 2005–06 में 6000 बुनकरों के बीमा कराये जाने के लक्ष्य के विरूद्ध माह दिसम्बर,2005 तक 1929 बुनकरों का बीमा कराया गया है। इस संख्या में से महिला बुनकरों की संख्या की जानकारी प्राप्त नहीं हो सकी है।

(3) **औद्योगिक प्रोत्साहन शिविर :**

औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने तथा औद्योगिक स्थापना से सम्बन्धित नियमों एवं प्रक्रियाओं की जानकारी देने हेतु जिला उद्योग केन्द्रों द्वारा जिला एवं पंचायत समिति स्तर पर औद्योगिक प्रोत्साहन शिविरों का आयोजन किया जाता हैं। इन औद्योगिक शिविरों में उद्यमियों को उद्योग स्थापित करने से सम्बन्धित मार्गदर्शन के साथ–साथ उद्योगों के अस्थाई/स्थाई पंजीयन, विभिन्न वित्तीय संस्थाओं के ऋण आवेदन पत्र तैयार करने तथा स्वीकृतियाँ जारी कराने आदि कार्य किये जाते है।

वर्ष 2005–06 में 36 जिला स्तर पर तथा 268 पंचायत समिति स्तर पर औद्योगिक शिविर आयोजित किये गये हैं। वर्ष 2006–07 में जिला स्तर पर 36 तथा पंचायत समिति स्तर पर 256 औद्योगिक शिविर आयोजित किये गये।

(4) उद्यमिता विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम :

नव उद्यमी के उद्योग प्रारम्भ करने की पूर्व आवश्यकता से लेकर उद्यम के परिसंचालन में आने वाली भावी समस्याओं व चुनौतियों का सामना करने की क्षमता का विकास करने हेतु विभाग द्वारा जिला उद्योग केन्द्रों के माध्यम से उद्यमियता विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किये जाते हैं। प्रशिक्षण कार्यक्रम में प्रशिक्षणार्थी को उद्योग स्थापना से लेकर उसके सफल संचालन और विपणन तक की जानकारी दी जाती है एवं प्रक्रियाओं से अवगत कराया जाता है। प्रशिक्षणार्थी को संसाधन, आदानों, मशीनरी एवं संयंत्र, कार्मिक, वित्तीय एवं अन्य प्रबन्धों, सरकार द्वारा प्रदत्त विभिन्न सहायता सुविधाओं, वित्तीय संस्थाओं से ऋण आदि के विषय में पूर्ण जानकारी प्रदान की जाती है। प्रशिक्षण अवधि दो सप्ताह की होती हैं। कौशल संवर्धन आधारित उद्यमिता विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम में वर्ष 2005–06 के दौरान उद्यमिता एवं प्रबन्ध विकास संस्थान एवं महर्षि दयानन्द सरस्वती विश्वविद्यालय के माध्यम से 5 कार्यक्रम सम्पादित कराया जाना प्रस्तावित है। इसके अन्तर्गत मोबाइल फोन रिपेयरिंग, वातानुकूलित यंत्र एवं रेफ्रिजरेशन, कम्प्यूटर आदि के रख–रखाव का प्रशिक्षण दिया जाता है।

उद्यमिता विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम के अन्तर्गत वर्ष 2004–05 से वर्ष 2006–07 के लिए प्रत्येक वर्ष 5.00 लाख रुपये की राशि आवंटित की गई। वर्ष 2004–05 में 5 लाख रुपये तथा वर्ष 2005–06 में 4.80 लाख रुपये व्यय किये गये। वर्ष 2006–07 में माह अक्टूबर,2006 तक 2.78 लाख रुपये व्यय किये गये। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत वर्षवार लाभान्वितों एवं उन पर किये गये व्यय का विवरण निम्न सारणी में उपलब्ध है :–

सारणी संख्या–6

उद्यमिता विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम की स्थिति

क्र. सं.	वर्ष	लाभान्वित (संख्या)			व्यय (लाख रुपये)			लाभान्वितों का प्रतिशत		व्यय का प्रतिशत	
		पुरूष	महिला	योग	पुरूष	महिला	योग	पुरूष	महिला	पुरूष	महिला
1.	2004–05	1321	669	1990	7.96	4.03	11.99	66.4	33.6	66.4	33.6
2.	2005–06	1356	482	1838	13.52	4.81	18.33	73.8	26.2	73.8	26.2
3.	2006–07*	–	–	1083	–	–	2.78	–	–	–	–

*** माह अक्टूबर 2006 तक**

यह सारणी स्पष्ट करती है कि उद्यमिता विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम के अन्तर्गत वर्ष 2004–05 में महिलाओं की भागीदारी 33.6 प्रतिशत रही तथा इस ही अनुरूप व्यय किया गया। वर्ष 2005–06 में कार्यक्रम में महिलाओं की हिस्सेदारी कम रही तथा यह 26.2 प्रतिशत रही। वर्ष 2006–07 के लिए प्राप्त सूचना के अनुसार 1083 व्यक्तियों को लाभान्वित किया गया तथा 2.78 लाख रुपये व्यय किये गये, परन्तु इस संख्या में महिलाओं की हिस्सेदारी की स्थिति नहीं बताई गई है। अतः महिलाओं की भागीदारी का विश्लेषण किया जाना संभव नहीं है। अतः महिलाओं की संख्या एवं उन पर किये गये व्यय की सूचना रखी जानी चाहिए।

(5) गृह उद्योग योजना :

महिला उद्यमियों को प्रेरित करने, महिलाओं में कुशलता वृद्धि करने तथा उन्हें स्व–नियोजन के प्रति प्रेरित करने के उद्देश्य से राज्य में ''गृह उद्योग योजना'' चलाई जा रही है। योजनान्तर्गत स्वयंसेवी संस्थाओं/नेहरू युवा केन्द्रों द्वारा महिलाओं को विभिन्न व्यवसायों में प्रशिक्षण दिया जाता है। राज्य सरकार इस योजना के क्रियान्वयन के लिये स्वयंसेवी संस्थाओं को ग्रान्ट इन एड जिला उद्योग केन्द्रों के माध्यम से प्रदान करती हैं। योजना के अन्तर्गत मुख्य रूप से सिलाई, बुनाई, ड्रेस डिजाईन, कम्प्यूटर लेदर गारमेन्ट आदि व्यवसायों में प्रशिक्षण दिया जाता है।

योजना को अपेक्षाकृत अधिक परिणामोन्मुखी बनाये जाने के उद्देश्य से इसमें व्यवहारिक संशोधनों के साथ समस्त अधिकार जिला स्तर पर हस्तान्तरित किये गये है। प्रशिक्षण हेतु ट्रेडस प्रशिक्षणदायी संस्था एवं प्रशिक्षणार्थियों के चयन के अधिकार जिला कलक्टर की अध्यक्षता वाली समिति को प्रदान कर दिये गये हैं।

गृह उद्योग के अन्तर्गत वर्ष 2004–05 से वर्ष 2006–07 तक की प्रगति निम्न सारणी में उपलब्ध है :–

सारणी संख्या–7

गृह उद्योग की स्थिति

क्र. सं.	वर्ष	लाभान्वित महिलायें (संख्या)	आवंटित राशि (लाख रुपयों में)	व्यय राशि (लाख रुपयों में)
1.	2004–05	4926	25.0	24.08
2.	2005–06	5621	30.0	28.95
3.	2006–07	5715	30.0	29.43
	योग	**16262**	**85.0**	**82.46**

उक्त तालिका में उपलब्ध सूचना के अनुसार वर्ष 2004–05 में 4926 महिलाओं को विभिन्न गृह उद्योगों के लिए प्रशिक्षण दिया गया। वर्ष 2005–06 में इन महिलाओं की संख्या में वृद्धि हुई तथा यह संख्या 5621 तक पहुँच गई। वर्ष 2006–07 में माह अक्टूबर,2006 तक 4531 महिलाओं को प्रशिक्षित किया गया। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत आवंटित राशि का पूर्ण उपयोग नहीं किया गया। अतः प्रत्येक वर्ष आवंटित राशि का उपयोग किया जाना चाहिए।

(6) इलैक्ट्रोनिक्स वस्तुओं की रख–रखाव हेतु तकनीकी प्रशिक्षण :

शिक्षित बेरोजगार युवाओं को भारत सरकार के संस्थान इलैक्ट्रोनिक परीक्षण एवं विकास केन्द्र (ई.टी.डी.सी.) के माध्यम से एयर कण्डीशनर एवं रेफ्रीजरेशन, कम्प्यूटर हार्डवेयर व नेटवर्किंग, एक्स–रे मशीन व इलैक्ट्रोनिक मशीनरी के रख–रखाव का प्रशिक्षण प्रदान कराया जाता है। आवेदक से 2000 रुपये तक एवं राज्य सरकार द्वारा 4000 रुपये से 5000 रुपये तक प्रशिक्षण शुल्क वहन किया जाता है।

इस प्रशिक्षण की वर्ष 2004–05 से वर्ष 2005–06 तक की प्रगति निम्न तालिका में उपलब्ध है :–

सारणी संख्या–8

इलैक्ट्रोनिक्स वस्तुओं की रख–रखाव हेतु तकनीकी प्रशिक्षण की स्थिति

क्र. सं.	वर्ष	लाभान्वित (संख्या)			व्यय (लाख रुपये)			लाभान्वितों का प्रतिशत		व्यय का प्रतिशत	
		पुरूष	महिला	योग	पुरूष	महिला	योग	पुरूष	महिला	पुरूष	महिला
1.	2004–05	127	17	144	4.41	0.59	5.00	88.2	11.8	88.2	11.8
2.	2005–06	120	14	134	4.29	0.51	4.80	89.6	10.4	89.4	10.6
	योग	**247**	**31**	**278**	**8.70**	**1.10**	**9.80**	**88.8**	**11.2**	**88.8**	**11.2**

उक्त सारणी में उपलब्ध सूचकांक यह स्पष्ट करते हैं कि इलैक्ट्रोनिक्स वस्तुओं के रख–रखाव हेतु तकनीकी प्रशिक्षण में महिलाओं द्वारा अधिक रूचि नहीं दिखाई गई है। वर्ष 2004–05 में कुल 144 प्रशिक्षणार्थियों में से 17 प्रशिक्षणार्थी महिलायें थी। वर्ष 2005–06 में भी महिला प्रशिक्षणार्थियों की संख्या में वृद्धि के स्थान पर कमी हुई तथा कुल 134 प्रशिक्षणार्थियों में से महिला प्रशिक्षणार्थियों की संख्या 14 (10.4 प्रतिशत) रही। उक्त दो वर्षों की अवधि में कुल लाभार्थियों में से 31 (11.2 प्रतिशत) महिला लाभार्थी रही है। इन महिलाओं पर प्रशिक्षण के लिए कुल व्यय में से 11.2 प्रतिशत राशि व्यय की गई। इस क्षेत्र में लाभार्थी महिलाओं की संख्या बढ़ाई जानी चाहिए।

(7) चर्म प्रशिक्षण :

चर्म उद्योग विकास हेतु राज्य में ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों के अनुसूचित जाति, जनजाति व अन्य जाति के चर्म कर्मियों के वर्तमान कार्य में सुधार लाने व उनकी आय के साधन बढ़ाने के क्रम में उन्नत तकनीक का प्रशिक्षण दिया जाता है। प्रशिक्षणार्थियों को चर्म जूती, लेदर टॉयज बनाने व चर्म के अन्य आईटम बनाने व चर्म रंगाई का प्रशिक्षण दिया जाता है।

चर्म प्रशिक्षण हेतु राज्य योजना बजट से राशि व्यय की जाती है। वर्ष 2004–05 से वर्ष 2006–07 तक की प्रगति निम्न सारणी में उपलब्ध है :–

सारणी संख्या–9
चर्म प्रशिक्षण की प्रगति

क्र. सं.	वर्ष	लाभान्वित (संख्या)			व्यय (लाख रुपये)			लाभान्वितों का प्रतिशत		व्यय का प्रतिशत	
		पुरूष	महिला	योग	पुरूष	महिला	योग	पुरूष	महिला	पुरूष	महिला
1.	2004–05	119	31	150	3.99	1.04	5.03	79.3	20.7	79.3	20.7
2.	2005–06	92	99	191	2.83	3.04	5.87	48.2	51.8	48.2	51.8
3.	2006–07	–	–	185	–	–	5.85	–	–	–	–

चर्म कार्यों में प्रशिक्षण के लिए उक्त सारणी में उपलब्ध सूचना के अनुसार वर्ष 2004–05 में प्रशिक्षण प्राप्त करने वाली महिलाओं की संख्या केवल 31 (20.7 प्रतिशत) थी, परन्तु वर्ष 2005–06 में प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले 191 व्यक्तियों में से महिलाओं की संख्या में गत वर्ष से लगभग तीन गुनी वृद्धि हुई तथा यह संख्या 99 (51.8 प्रतिशत) हो गई, यह एक अच्छा संकेत है। चर्म कार्य के लिए विशेष पढ़ाई की आवश्यकता नहीं होती है, अतः ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं के लिए यह रोजगार का एक अच्छा स्त्रोत बन सकता है। वर्ष 2006–07 में 185 व्यक्तियों को प्रशिक्षण दिया गया परन्तु इनमें से महिलाओं की संख्या की जानकारी उद्योग विभाग से प्राप्त नहीं हो सकी। योजनान्तर्गत लाभार्थी महिलाओं की संख्या में वृद्धि की जानी चाहिए।

(8) नमक उद्योग :

राजस्थान भूमिगत जल से लवण निर्माण करने में सर्वोच्च स्थान रखता है। देश में उत्पादित नमक का लगभग 12 प्रतिशत हिस्सा इस राज्य में उत्पादित किया जाता है। यह उद्योग राज्य के रेगिस्तानी इलाकों में स्थित है, जो अकाल के समय में भी लोगों को रोजगार उपलब्ध कराता है। राज्य के खुले लवण क्षेत्रों में निजी इकाइयों को राज्य सरकार के उद्योग विभाग के माध्यम से लवण भूमि का आवंटन किया जाता है, जबकि आरक्षित लवण क्षेत्रों में राजकीय/केन्द्रीय उपक्रम विभागों द्वारा नमक उत्पादन का कार्य करवाया जाता है।

इसके अतिरिक्त लवण क्षेत्रों की परिधि में खातेदारों (कृषकों) जिनकी भूमि लवणीय हो गयी है, वहाँ भी अपनी खातेदारी भूमि को कृषि से अकृषि भूमि में राजस्व विभाग के माध्यम से रूपान्तरण करवाकर लवण निर्माण का कार्य किया जाता है।

राज्य सरकार लवण क्षेत्रों में मूलभूत सुविधाऐं जैसे सड़क, स्वच्छ पेयजल, विद्युतीकरण, चिकित्सा तथा बांध निर्माण आदि की सुविधा उपलब्ध कराने पर भी ध्यान दे रही है। नमक क्षेत्रों की आवश्यकताओं के अनुसार विभिन्न कार्यकारी एजेन्सियों से अनुमान आदि तैयार कराने के लिये जिला कलक्टर की अध्यक्षता में टास्क फोर्स गठित की गई है। लवण क्षेत्रों में विकास सम्बन्धी योजनाऐं लवण आयुक्त, भारत सरकार की पचास प्रतिशत सैस फण्ड की सहायता से करवाई जाती रही है। वर्ष 2004–05 में लवण क्षेत्रों के विकास हेतु 210.21 लाख रुपये व्यय किये गये हैं। इस राशि से राज्य के लवण क्षेत्रों में 10 सड़क योजनाओं के अन्तर्गत लगभग 25 कि.मी. सड़क का निर्माण कार्य करवाया गया है। वर्ष 2005–06 एवं 2006–07 में लवण क्षेत्र में आधारभूत सुविधायें उपलब्ध करवाने के लिए 16 कि.मी. सड़क का निर्माण 197.057 लाख रुपये की लागत से करवाया गया एवं 4.23 लाख रुपये की लागत से सरगोठ विद्युतिकरण का कार्य करवाया गया है। लवण क्षेत्रों में आधारभूत सुविधाऐं उपलब्ध करवाने हेतु 360.00 लाख रुपये का प्रावधान प्रस्तावित किया गया है जिसमें से 355.88 लाख रुपये की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति जारी की जा चुकी है, माह दिसम्बर,2005 तक 95.00 लाख रुपये की राशि व्यय की गई है।

नमक बनाने के लिए पुरूष एवं महिलायें मजदूर के रूप में कार्य करते हैं। वर्ष 2004–05 से वर्ष 2006–07 तक कार्यरत मजदूरों की संख्या निम्न सारणी में उपलब्ध है :–

सारणी संख्या–10

नमक उत्पादन में मजदूरों की संख्या

क्र. सं.	वर्ष	मजदूरों की संख्या			प्रतिशत	
		पुरूष	महिला	योग	पुरूष	महिला
1.	2004–05	15000	7000	22000	68.2	31.8
2.	2005–06	20546	7370	27916	73.6	26.4
3.	2006–07	20000	7000	27000	74.0	26.0

चित्र संख्या–3
नमक उत्पादन में लाभान्वित मजदूरों (पुरूष एवं महिलाओं) की संख्या

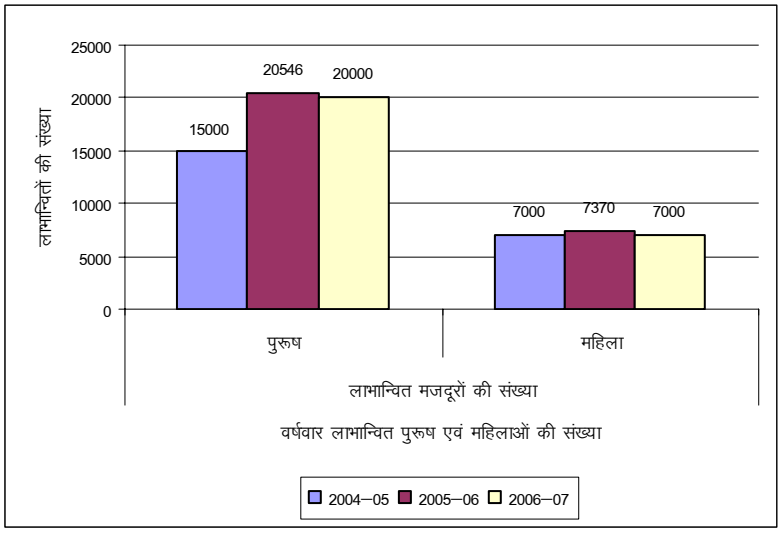

नमक उत्पादन में मजदूरी करने वाले व्यक्तियों में से अधिकांश मजदूर पुरूष होते हैं, परन्तु महिलाऐं भी इस कार्य में सहयोग करती है। उद्योग विभाग से प्राप्त सूचना के अनुसार वर्ष 2004–05 की अवधि में कुल 22000 मजदूरों में से महिलाओं की संख्या 7000 (31.8 प्रतिशत) थी, वर्ष 2005–06 में महिला मजदूरों की संख्या कम रही तथा इनका प्रतिशत 26.4 रहा। वर्ष 2006–07 में माह अक्टूबर,2006 तक महिला मजदूरों का प्रतिशत 27.3 रहा। नमक उत्पादन कर रहे मजदूरों को दिये जाने वाली मजदूरी के सम्बन्ध में उद्योग विभाग द्वारा सूचना उपलब्ध नहीं करवाई गई।

लवण क्षेत्रों में सड़क निर्माण के लिए मजदूरी पर कार्य करने वाले मजदूरों में महिला मजदूरों की संख्या की भी जानकारी प्राप्त की गई, प्राप्त जानकारी के अनुसार वर्ष 2004–05 में सड़क निर्माण के लिए 500 मजदूर लगाये गये थे इनमें से 200 महिला मजदूर थे अर्थात् 40 प्रतिशत मजदूर महिलाएं थी। वर्ष 2005–06 में भी महिला मजदूरों का प्रतिशत गत वर्ष के समान ही रहा। वर्ष 2006–07 में माह अक्टूबर,2006 तक लगभग 500 मजदूर कार्यरत थे इनमें से 200 (40.0 प्रतिशत) महिला मजदूर थी।

(9) नमक मजदूर आवास योजना :

वर्ष 2004–05 में नमक मजदूर आवास योजना के अन्तर्गत 252 आवासों के निर्माण हेतु लवण आयुक्त, भारत सरकार से 81.81 लाख रुपये की सहायता राशि प्राप्त हुई थी। आवास निर्माण हेतु जिला कलक्टर, नागौर द्वारा नावां तहसील में 10 बीघा भूमि का आवंटन उद्योग विभाग के नाम से करवा लिया गया है। आवंटित भूमि में भूखण्ड़ों की पत्थर गढ़ी पश्चात् 202 भू–खण्ड़ों का नमक मजदूरों को लाटरी द्वारा

आवंटन किया गया है। 202 श्रमिकों ने कब्जा संभालकर कार्य प्रारम्भ कर दिया है। 183 नमक मजदूर आवासों का कार्य पूर्ण हो चुका है। वित्तीय वर्ष 2005–06 में भारत सरकार द्वारा कोई आवास स्वीकृत नहीं किया गया। वर्ष 2006–07 में भारत सरकार द्वारा 248 आवासों की स्वीकृति जारी की गयी है। 248 नमक मजदूरों को भूमि का आवंटन किया जा चुका है, जिसमें से 78 आवासों का निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है, शेष निर्माणाधीन हैं। इन आवासों के लिए भारत सरकार से अब तक 100.44 लाख रुपये की राशि प्राप्त हो चुकी है। वर्ष 2007–08 में भारत सरकार द्वारा 300 आवास निर्माण का लक्ष्य दिया गया है जिसके लिये भूमि का चयन किया जा चुका है। नमक मजदूर आवास योजना के अन्तर्गत वर्ष 2004–05 में कुल 202 श्रमिकों को लाभान्वित किया गया, इनमें से 19 (9.4 प्रतिशत) महिला नमक मजदूरों को लाभान्वित किया गया। वर्ष 2006–07 में माह मार्च,2007 तक की अवधि में कुल 248 नमक मजदूरों को योजना से लाभान्वित किया गया, इनमें से 35 (14.1 प्रतिशत) महिला मजदूरों को योजना का लाभ दिया गया।

2.2 राजस्थान खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड :

राजस्थान में खादी और ग्रामोद्योग के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों की आर्थिक व्यवस्था को सुदृढ़ करने की दृष्टि से राजस्थान खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड का गठन राज्य विधान सभा द्वारा पारित राजस्थान खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड अधिनियम,1955 के अन्तर्गत अप्रेल,1955 में किया गया। बोर्ड के अध्यक्ष के अतिरिक्त 12 सदस्य होते हैं, जो राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किये जाते हैं जिसमें कम से कम 8 गैर सरकारी सदस्य होते है जिनका कार्यकाल 2 वर्ष का होता है।

बोर्ड के उद्देश्य एवं कार्य :

(i) खादी तथा ग्रामोद्योग के विकास की योजना बनाना।
(ii) कार्यक्रम संगठित करना और उनकी क्रियान्विति करना।
(iii) निम्न आय वर्ग के लोगों एवं कारीगरों को खादी ग्रामोद्योग के माध्यम से रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना।
(iv) कारीगरों को प्रशिक्षण देना।
(v) कच्चे माल की व्यवस्था तथा तैयार माल का विरणन करना।
(vi) कारीगरों में सहकारी भावना को विकसित करना, आदि।

राजस्थान खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा निम्न कार्यक्रमों का संचालन किया जा रहा है :–

(1) **खादी कार्यक्रम :**

राज्य में प्रमुख रूप से ऊनी एवं सूती खादी के उत्पादन का विशाल क्षेत्र है। राज्य में देश के कुल उत्पादन की 45 प्रतिशत ऊन उत्पादित होती है। वर्ष 2004–05 में राज्य में 223 संस्था/समितियों को इस कार्य के लिए अनुदानित किया गया, वर्तमान में राज्य में कार्यरत संस्था/समितियों की संख्या 173 हैं।

राज्य में वर्ष 2004–05 एवं 2005–06 (जनवरी,2006) में खादी उत्पादन एवं रोजगार प्राप्त कर रहे व्यक्तियों की संख्या निम्न सारणी में उपलब्ध है :–

सारणी संख्या–11

खादी उत्पादन एवं रोजगार

क्र. सं.	वर्ष	ऊनी खादी (लाख रुपये)	सूती खादी (लाख रुपये)	योग (लाख रुपये)	रोजगार प्राप्त व्यक्ति (संख्या)
1.	2004–05	817.56	2078.80	2896.36	39549
2.	2005–06*	339.83	922.85	1262.68	40853

*** जनवरी,2006 तक**

उक्त सारणी से स्पष्ट होता है कि राज्य में लगभग 40 हजार व्यक्ति खादी क्षेत्र से अपनी आजीविका कमा रहे हैं। सूत/ऊन की कताई अधिकांशतया महिलायें ही करती हैं। सूती/ऊनी कताई एवं बुनाई से ग्रामीण महिलायें ही अधिक संख्या में लाभान्वित होती है। राजस्थान खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा महिलाओं की संख्या अलग से संहारित नहीं की जाती है, अतः सिफारिश की जाती है कि विभाग भविष्य में महिला लाभार्थियों की संख्या अलग से संहारित करें।

(2) **ग्रामोद्योग कार्यक्रम :**

राजस्थान खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड राज्य में ग्रामोद्योगों के लिए कार्यरत है। राज्य में ग्रामोद्योगों के अन्तर्गत कार्यरत इकाईयों की संख्या उत्पादन एवं रोजगार की स्थिति निम्न सारणी में उपलब्ध है :–

सारणी संख्या–12

ग्रामोद्योग कार्यक्रम से उत्पादन एवं रोजगार की स्थिति

क्र. सं.	वर्ष	कार्यरत ईकाइयाँ (संख्या)	उत्पादन (लाख रुपये)	रोजगार (संख्या)
1.	2004–05	104168	7505.97	32990
2.	2005–06*	104168	2269.02	20920

*** जनवरी,2006 तक**

उक्त सारणी से स्पष्ट है कि राज्य में ग्रामोद्योगों में लगभग 32990 व्यक्ति कार्यरत है, परन्तु इनमें महिलाओं की संख्या की जानकारी विभाग से प्राप्त नहीं हो सकी है।

(3) ग्रामीण विधवा एवं परित्यक्ता को स्वरोजगार हेतु ऋण :

राज्य योजना के अन्तर्गत विधवा व परित्यक्ता महिला विकास कार्यक्रम में रोजगार हेतु ऋण उपलब्ध करवाया जाता है। इस योजना के अन्तर्गत 20 प्रतिशत सहायता राशि बिना ब्याज के ऋण के रूप में तथा 80 प्रतिशत राशि 4.5 प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से ऋण के रूप में उपलब्ध करवायी जाती है। योजना के अन्तर्गत अधिकतम 2 लाख रुपये तक की परियोजना स्वीकार की जाती है। ऋण एवं ब्याज पाँच वर्ष में वापिस लिया जाता है। ऋण एवं ब्याज की किश्तें छः माही वसूल की जाती है। राजस्थान खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड से प्राप्त सूचना के अनुसार वर्ष 2004–05 में 50 लाख रुपये तथा वर्ष 2005–06 एवं 2006–07 में प्रत्येक वर्ष 25 लाख रुपये की राशि आवंटित की गई थी। वर्ष 2004–05 में एवं 2005–06 में शत–प्रतिशत आवंटित राशि व्यय की गई। वर्ष 2006–07 में माह अक्टूबर,2006 तक 13.26 लाख रुपये व्यय किये गये। इस राशि से वर्ष 2004–05 में 139 महिलाओं, वर्ष 2005–06 में 124 महिलाओं को तथा वर्ष 2006–07 में माह अक्टूबर,2006 तक 29 महिलाओं को ऋण उपलब्ध करवाकर लाभान्वित किया गया।

(4) ग्रामीण युवाओं को स्वरोजगार हेतु ऋण :

ग्रामीण युवा स्वरोजगार कार्यक्रम के अन्तर्गत गत 3 वर्षों की अवधि में 308 लाख रुपये की राशि आवंटित की गई थी, इस आवंटित राशि में से माह अक्टूबर,2006 तक 218.87 लाख रुपये की राशि व्यय की गई। वर्ष 2005–05 से 2006–07 (माह अक्टूबर,2006) तक की स्थिति निम्न सारणी में देखी जा सकती है :–

सारणी संख्या–13

ग्रामीण युवाओं को स्वरोजगार हेतु ऋण की स्थिति

क्र. सं.	वर्ष	आवंटित राशि (लाख रुपये)	व्यय राशि (लाख रुपये)	व्यय का प्रतिशत	कुल लाभार्थी	लाभान्वित महिला	लाभान्वित महिलाओं का प्रतिशत
1.	2004–05	58.00	58.00	100.0	972	247	25.4
2.	2005–06	150.00	100.00	66.7	1220	315	25.8
3.	2006–07*	100.00	60.87	60.8	332	89	26.8
	योग	**308.00**	**218.87**	**71.1**	**2524**	**651**	**25.7**

*** माह अक्टूबर,2006 तक**

चित्र संख्या–4
ग्रामीण युवाओं को स्वरोजगार हेतु ऋण की स्थिति
(लाभान्वित पुरूष एवं महिलाओं की संख्या)

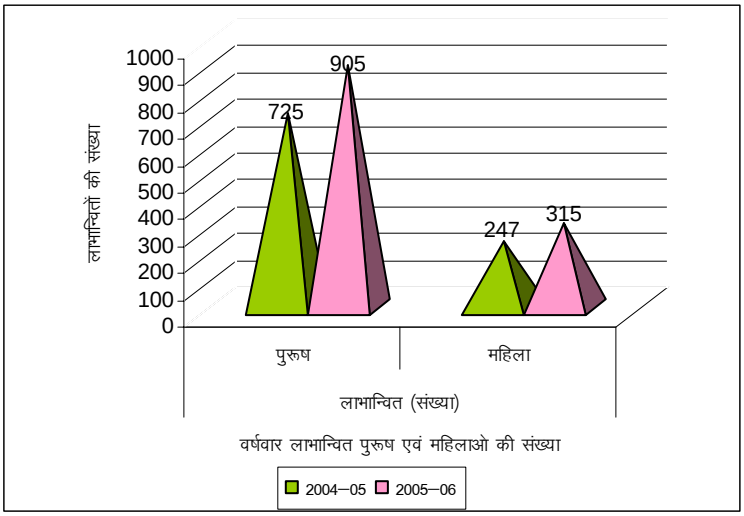

उक्त सारणी से स्पष्ट है कि राजस्थान खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा ग्रामीण क्षेत्र के युवाओं को स्वरोजगार हेतु संदर्भित अवधि में 308 लाख रुपये की राशि का प्रावधान किया गया था। इस राशि में से इस अवधि में 218.87 लाख रुपये के ऋण उपलब्ध करवाये गये। यह सारणी यह स्पष्ट करती है कि इस अवधि में कुल 2524 युवक–युवतियों को इस योजना से लाभान्वित किया गया, इनमें से 651 (25.7 प्रतिशत) महिलायें है तथा शेष 1874 (74.3 प्रतिशत) ग्रामीण युवक है। वर्ष 2004–05 से 2006–07 के मध्य महिलाओं की भागीदारी 25 से 26 प्रतिशत के मध्य रही है।

(5) ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम (मार्जिन मनी बैंक वित्त योजना) :

ग्रामीण क्षेत्र के विभिन्न वर्गों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुये भारत सरकार के कृषि एवं ग्रामीण उद्योग मंत्रालय द्वारा खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग, मुम्बई के माध्यम से ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम ग्रामीण क्षेत्रों में संचालित किया जा रहा है। योजना के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में नई ग्रामोद्योगी परियोजनायें स्थापित की जा सकती है, पूर्व में स्थापित उद्योगों को इस योजना से लाभ नहीं मिलेगा।

ग्रामीण उद्योग का अर्थ है ऐसा कोई उद्योग जो ग्रामीण क्षेत्र में स्थित हो तथा जो विद्युत के उपयोग या बिना उपयोग के कोई माल तैयार करता हो या कोई सेवा प्रदान करता हो एवं जिसमें प्रति कारीगर स्थाई पूँजी निवेश 50,000 रुपये से अधिक नहीं हो।

इस योजना के अन्तर्गत (i) वैयक्तिक (कारीगर उद्यमी), (ii) संस्थायें, सहकारी समितियाँ, (iii) स्वयं सहायता समूह ऋण प्राप्त करने के पात्र है। व्यक्तिगत इकाई, संस्थाओं, सहकारी समिति, न्यास एवं स्वयं सहायता समूह के लिए उद्योग की अधिकतम सीमा परियोजना लागत 25.00 लाख रुपये है।

परियोजनाओं के लिए परियोजना लागत की 25 प्रतिशत धनराशि मार्जिन मनी के रूप में खादी और ग्रामोद्योग आयोग/ खादी बोर्ड द्वारा उपलब्ध करवाई जाती है। इसकी अधिकतम सीमा 2.50 लाख रुपये है। कमजोर वर्ग के लाभार्थियों अर्थात् अनुसूचित जाति/जनजाति/अन्य पिछड़े वर्ग/महिला/विकलांग/भूतपूर्व सैनिक और अल्पसंख्यक समुदाय के लाभार्थियों के लिए मार्जिन मनी राशि परियोजना लागत के लिए 30 प्रतिशत की दर से 3.00 लाख रुपये देय होती है। इस योजना के अन्तर्गत उद्यमी को निवेश के रूप में परियोजना लागत का 10 प्रतिशत अपना योगदान करना होता है। अनुसूचित जाति/जनजाति/अन्य पिछड़े वर्ग/ महिला/विकलांग के उद्यमियों के सम्बन्ध में यह योगदान परियोजना लागत का 5 प्रतिशत होता है।

बैंक सामान्य श्रेणी के उद्यमी को परियोजना लागत का 90 प्रतिशत तथा कमजोर वर्ग के लाभार्थियों को 95 प्रतिशत ऋण राशि उपलब्ध करवाते हैं। परियोजना लागत में भूमि की कीमत सम्मिलित नहीं की जाती है।

बैंक द्वारा क्रेडिट सुविधा की स्वीकृति के बाद मार्जिन मनी की उपयुक्त राशि उद्यमी के नाम से 2 वर्ष की मियादी जमा में रखी जाती है जिसे ऋण की प्रथम किस्त की भुगतान की दिनांक से 2 वर्ष की अवधि के बाद उद्यमी के ऋण खाते में जमा किया जाता है।

राजस्थान खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा वर्ष 2004–05 से 2006–07 (अक्टूबर,2006) तक की सूचना उपलब्ध करवाई गई है जिसका विवरण निम्न सारणी में देखा जा सकता है :–

सारणी संख्या–14

ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम की प्रगति

क्र. सं.	वर्ष	लाभान्वित (संख्या)			व्यय (लाख रुपये)			लाभान्वित प्रतिशत		व्यय प्रतिशत	
		पुरूष	महिला	योग	पुरूष	महिला	योग	पुरूष	महिला	पुरूष	महिला
1.	2004–05	662	115	777	925.41	137.59	1063.00	85.2	14.8	87.0	13.0
2.	2005–06	1147	253	1400	1060.61	475.39	1536.00	81.9	18.1	69.0	31.0
3.	2006–07*	440	93	533	360.27	170.46	530.73	82.5	17.5	67.9	32.1
	योग	**2249**	**461**	**2710**	**2346.29**	**783.44**	**3129.73**	**83.0**	**17.0**	**75.0**	**25.0**

*** अक्टूबर,2006 तक**

चित्र संख्या–5

ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रमान्तर्गत लाभान्वित पुरूष एवं महिलाओं की संख्या

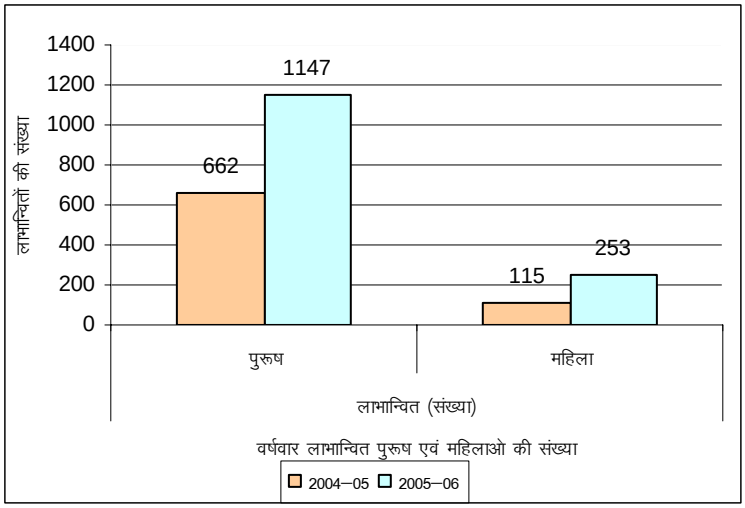

उक्त तालिका में उपलब्ध सूचना के अनुसार इस योजना का लाभ मुख्यतया पुरूष वर्ग द्वारा लिया गया है। महिला वर्ग की भागीदारी वर्ष 2004–05 में 14.8 प्रतिशत, वर्ष 2005–06 में 18.1 प्रतिशत तथा वर्ष 2006–07 में 17.5 प्रतिशत रही है।

महिला वर्ग पर किये गये व्यय का प्रतिशत यद्यपि लाभान्वित महिलाओं के प्रतिशत के अनुरूप नहीं है क्योंकि वर्ष 2004–05 में महिला पर व्यय प्रतिशत 13 रहा परन्तु वर्ष 2005–06 में यह 31 प्रतिशत एवं वर्ष 2006–07 में यह 32.1 प्रतिशत रहा। इसका कारण यह रहा है कि ग्रामीण उद्योग स्थापित करने हेतु दिये गये ऋण की मात्रा अधिक रही है। इस सारणी में उपलब्ध सूचना के अनुसार संदर्भित अवधि में 17 प्रतिशत महिलाओं को कुल ऋण का 25 प्रतिशत हिस्सा उपलब्ध करवाया गया है। संक्षेप में प्रति महिला को प्रदत्त ऋण की राशि तुलनात्मक रूप से पुरूषों से अधिक थी।

2.3 राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास एवं विनियोजन निगम लिमिटेड :

राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास एवं विनियोजन निगम लिमिटेड (रीको) वर्ष 1969 से अपने उद्देश्यानुसार राज्य में औद्योगीकरण की गति को तीव्र से तीव्रतर बनाने के लिए सतत् रूप से प्रयत्नशील है। निगम औद्योगिक क्षेत्रों की स्थापना करता है एवं उनकी आधारभूत आवश्यकताएं पूरी करता है, साथ ही लघु, मध्यम एवं वृहद् श्रेणी के उद्योगों को स्थापित करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करता है व अनेक प्रकार की छूट एवं रियायतें प्रदान करता है। निगम उद्यमियों को तकनीकी तथा प्रबन्धकीय सूचनाएँ/सेवाएँ प्रदान करता है। निगम राज्य सरकार द्वारा घोषित औद्योगिक नीति के अनुसार राज्य में औद्योगिक विकास के विभिन्न कार्यक्रमों के क्रियान्वयन में भी तत्पर है। निगम राजस्थान राज्य में स्थापित औद्योगिक परियोजनाओं को मुख्य गतिविधि के रूप में सावधि ऋण प्रदान करता है।

निगम के प्रमुख उद्देश्य :

(i) लघु, मध्यम एवं वृहद् श्रेणी के उद्योगों को वित्तीय सहायता प्रदान करना।

(ii) आधारभूत सुविधाऐं प्रदान कर लघु, मध्यम एवं वृहद् श्रेणी के उद्योग स्थापित करने हेतु औद्योगिक क्षेत्र विकसित करना।

(iii) औद्योगिक, व्यापार एवं विनियोग संवर्द्धन गतिविधियाँ।

रीको को राज्य आयोजना बजट से विभिन्न कार्यक्रमों के लिए वर्ष 2004–05 में 653.99 लाख रुपये वर्ष 2005–06 में 1415.50 लाख रुपये तथा वर्ष 2006–07 के लिए 1300.00 लाख रुपये उपलब्ध करवाये गये हैं। इस राशि से राज्य में औद्योगिक क्षेत्रों का विकास किये जाने के साथ ही अन्य औद्योगिक क्षेत्रों में विकास केन्द्रों (Growth Centers) की स्थापना की जा रही है।

वर्ष 2003–04 से वर्ष 2005–06 की अवधि में रीको द्वारा राज्य के 25 औद्योगिक क्षेत्रों में 1611 महिला उद्यमियों को भूमि आवंटित की गई। इनमें सर्वाधिक भूमि आवंटन भिवाड़ी–द्वितीय में की गई।

2.4 राजस्थान लघु उद्योग निगम :

दी राजस्थान स्मॉल इण्डस्ट्रीज कॉरपोरेशन लि. की स्थापना राज्य की लघु औद्योगिक इकाइयों एवं हस्तशिल्पयों को सहायता, प्रोत्साहन देने एवं उनके द्वारा उत्पादित वस्तुओं के समुचित विपणन की सुविधा प्रदान करने की दृष्टि से भारतीय कम्पनी अधिनियम,1956 के अधीन 3 जून, 1961 को की गयी। तब से निगम निरन्तर समयानुकूल प्रासंगिक सुधारों के साथ इस दिशा में प्रयत्नशील है। व्यावसायिक प्रतिष्ठान होने के नाते अपने लाभ को अधिकाधिक बढ़ाने हेतु समय के परिवर्तन के साथ अपने उत्पादों में परिवर्तन करना, नये–नये डिजाइन एवं तकनीक को सम्मिश्रण करना, व्यावसायिक माँग के अनुकूल उत्पादों को बाजार में उपलब्ध करवाना एवं इसके साथ ही कल्याणकारी संस्थान के नाते हस्तशिल्पियों के हितों को दृष्टिगत रखते हुए उनके कल्याण हेतु सीधा लाभ देने वाले कार्यक्रमों को संचालित करने का दायित्व भी निगम वहन करता है।

निगम के प्रमुख उद्देश्य :

(i) राज्य के हस्तशिल्पियों एवं हस्तशिल्प के विकास एवं संरक्षण हेतु प्रोत्साहन एवं कल्याणकारी योजनाओं की परिकल्पना तथा संचालन करना।

(ii) राजस्थान के हस्तशिल्प के विपणन हेतु प्रदर्शनी/मेला तथा राजस्थली विक्रय केन्द्रों के माध्यम से प्रयास करना।

(iii) हस्तशिल्प विपणन हेतु नये बाजारों की खोज में हस्तशिल्पियों को सहायता प्रदान करना।

(iv) लघु उद्योग इकाइयों को राजकीय खरीद तथा खुले बाजार हेतु विपणन सहायता उपलब्ध कराना।

(v) राजस्थान हस्तशिल्प के लिये राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में प्रचार–प्रसार तथा जागरूकता पैदा करना।

(vi) लघु उद्योग इकाइयों को आवश्यकतानुसार कच्चा माल सहायता उपलब्ध कराना।

(vii) राज्य की उत्पादक एवं निर्यातक इकाइयों को आई.सी.डी. तथा एयर कारगो कॉम्पलैक्स के माध्यम से आधारभूत सुविधायें उपलब्ध कराना।

(viii) राज्य की लघु इकाइयों, दस्तकार तथा निर्यातक इकाइयों के लिए अन्य लाभकारी गतिविधियों की परिकल्पना तथा क्रियान्वयन।

निगम की प्रमुख योजनाओं को लोकप्रिय, प्रभावशाली, लाभकारी एवं प्रासंगिक बनाने के लिए कल्याणकारी कार्यक्रमों के साथ ही निजी व्यावसायिक दृष्टिकोण को अपनाते हुए सुदृढ़ आर्थिक स्थिति के लिए विभिन्न क्षेत्रों में अनेक कार्यक्रम चलाये जा रहे है।

I हस्तशिल्प
  (क) व्यावसायिक गतिविधियाँ
  (ख) प्रोत्साहनात्मक गतिविधियाँ
II लघु उद्योग इकाइयों को कच्चा माल एवं विपणन सहायता।
III निर्यात प्रोत्साहन हेतु आधारभूत सुविधाएँ।

प्रोत्साहनात्मक गतिविधियाँ :

(1) **हस्तशिल्पियों को पुरस्कार :**

हस्तशिल्पियों को पुरस्कार व सम्मानित करने के उद्देश्य से निगम द्वारा वर्ष 1983 से भारत सरकार के राष्ट्रीय पुरस्कार के अनुरूप ही राज्य सरकार की ओर से भी शिल्पियों को पुरस्कृत करने की योजना प्रारम्भ की गई है।

राज्य स्तरीय पुरस्कार योजना में चयन आदि का सम्पूर्ण कार्य निगम द्वारा किया जाता है। पुरस्कृत शिल्पी को रुपये 15,000/– नकद, ताम्रपत्र एवं अंगवस्त्र प्रदान तथा दक्षता प्रमाण पत्र प्राप्त शिल्पी को रुपये 3,000/– नकद, अंगवस्त्र एवं प्रमाण–पत्र प्रदान किये जाते रहे हैं।

7 दिसम्बर,2005 को बिड़ला ऑडिटोरियम में आयोजित किये गये राज्य स्तरीय हस्तशिल्प पुरस्कार वितरण समारोह 2002–03 व 2003–04 के दौरान माननीय मुख्यमंत्री महोदया द्वारा यह घोषणा की गई है कि भविष्य में प्रत्येक राज्य स्तरीय पुरस्कार के अन्तर्गत रुपये 15,000/– नकद के स्थान पर रुपये 25,000/– नकद, ताम्र पत्र व अंगवस्त्र प्रदान किया जावेगा तथा दक्षता प्रमाण पत्र पाने वाले शिल्पी को रुपये 3,000/– नकद के स्थान पर रुपये 5,000/– नकद, दक्षता प्रमाण–पत्र एवं अंगवस्त्र प्रदान किये जायेगें।

प्रदेश के विभिन्न जिलों में वर्ष 1988–89 से 2004–05 तक आयोजित प्रतियोगिताओं में कुल 1629 दस्तकारों को चयनित कर पुरस्कृत किया गया है। वर्ष 1983 से 2004 तक कुल 175 हस्तशिल्पियों को राज्य–स्तरीय सम्मान एवं 206 शिल्पियों को दक्षता प्रमाण–पत्र से सम्मानित किया गया। वर्ष 2004–05 में 2 महिला हस्तशिल्पियों को राज्य स्तरीय पुरुस्कार एवं 2 महिला शिल्पियों को दक्षता प्रमाण पत्र दिये गये। वर्ष 2005–06 में एक महिला हस्तशिल्पी को दक्षता प्रमाण पत्र से सम्मानित किया गया।

(2) राजस्थान हस्तशिल्पी एवं दस्तकार कल्याण कोष योजना :

राजस्थान हस्तशिल्पी एवं दस्तकार कल्याण कोष योजना के लिये राज्य सरकार से प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त कर कोरपस फण्ड की स्थापना की गई है। इस कोरपस फण्ड में राज्य सरकार से 50 लाख, रीको से 30 लाख, आर.एफ.सी. से 15 लाख व राजसिको से 5 लाख रुपये की राशि अंशदान के रूप में प्राप्त हुई है। इस योजना के अन्तर्गत हस्तशिल्पियों के लिये असाध्य रोगों के इलाज हेतु वित्तीय सहायता, मुख्यमंत्री वृद्धावस्था पेंशन योजना तथा सामूहिक सामाजिक सुरक्षा योजना का प्रावधान किया गया है। इस योजना के अन्तर्गत विभिन्न जिलों की 5 महिला हस्तशिल्पी लाभान्वित हो रही है।

मुख्यमंत्री वृद्धावस्था पेंशन योजना के अन्तर्गत 12 हस्तशिल्पियों को लाभान्वित किया जा रहा है तथा असाध्य रोगों के इलाज हेतु वित्तीय सहायता के अन्तर्गत एक हस्तशिल्पी को वित्तीय सहायता प्रदान की गई है एवं माह दिसम्बर,2005 तक 287 व्यक्तियों को सामूहिक सामाजिक सुरक्षा बीमा योजना के अन्तर्गत लाभान्वित किया गया है। सामूहिक बीमा योजना (जनश्री बीमा योजना) के अन्तर्गत लगभग 550 महिलाएं लाभान्वित हुई हैं।

राज्य में महिला हस्तशिल्पियों की संख्या काफी अच्छी है, परन्तु विभाग द्वारा महिलाओं की सूचना अलग से उपलब्ध न होने के कारण विश्लेषण संभव नहीं है। अतः सिफारिश की जाती है कि भविष्य में विभाग द्वारा जेन्डर आधारित सूचनाओं का संकलन किया जावें।

2.5 ग्रामीण गैर कृषि विकास अभिकरण (रूडा) :

रूडा की स्थापना का प्रमुख उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में गैर कृषि आजीविका के साधनों का विकास करना है। रूडा की स्थापना नवम्बर,1995 में उक्त उद्देश्यों को लेकर राजस्थान सरकार द्वारा की गई थी। रूडा लघु उद्यमों के क्लस्टर के विकास द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में स्थायी आजीविका के साधन विकसित करने के लिए कार्य करती है।

स्थानीय रूप से प्रचुर मात्रा में उपलब्ध कच्चे माल के आधार पर रूडा ने चुने हुए उप–क्षेत्रों में ही विकास का कार्य प्राथमिकता के आधार पर किये जाने की नीति अपनाई है तथा वर्तमान में रूडा उत्पादन, चर्म उद्योग, लघु खनिज उद्योग, खादी, हाथकर्घा तथा हस्तशिल्प के उप क्षेत्रों में ही लघु उद्यमों को विकसित करने का कार्य कर रही है।

रूडा द्वारा सम्पादित कराये जा रहे कार्य :

(i) ग्रामीण दस्तकारों को संगठित करना।
(ii) ग्रामीण हस्तशिल्प का तकनीकी उत्थान करना।
(iii) ग्रामीण दस्तकारों को प्रशिक्षण के द्वारा क्षमतावर्द्धन।
(iv) ग्रामीण लघु उद्यम उत्पादों का विकास तथा आधुनिक आवश्यकताओं के अनुसार डिजायनों का विकास।
(v) लघु उद्यमों के विकास हेतु बैंक ऋण की व्यवस्था सुनिश्चित करना।
(vi) ग्रामीण उद्योगों की विपणन व्यवस्था सुनिश्चित करना।
(vii) ग्रामीण उत्पादों के विपणन हेतु विदेशों में प्रचार हेतु नेटवर्क स्थापित करना।
(viii) ग्रामीण लघु उद्यमों के विकास में लाभप्रद अन्य व्यवस्थाऐं सुनिश्चित करना।

ग्रामीण गैर कृषि विकास अभिकरण को वर्ष 2004–05 से वर्ष 2006–07 (माह जनवरी,2007) तक की अवधि में विभिन्न कार्यक्रमों के लिए आवंटित राशि एवं व्यय की स्थिति निम्न सारणी में उपलब्ध है :–

सारणी संख्या–15
आवंटित राशि एवं व्यय की स्थिति

क्र. सं.	वर्ष	आवंटित राशि (लाख रुपयों में)	व्यय राशि (लाख रुपयों में)	व्यय का प्रतिशत
1.	2004–05	349.96	117.02	33.4
2.	2005–06	168.54	190.67	113.1
3.	2006–07*	212.61	145.28	68.3
	योग	**731.11**	**452.94**	**62.0**

*** जनवरी,2007 तक**

उक्त सारणी से यह स्थिति स्पष्ट होती है कि संदर्भित अवधि में वर्ष 2004–05 में आवंटित राशि की केवल 33.4 प्रतिशत राशि व्यय की गई, परन्तु वर्ष 2005–06 में आवंटित राशि का 113.1 प्रतिशत व्यय हुआ। वर्ष 2006–07 (माह जनवरी,2007 तक) में 68.3 प्रतिशत राशि व्यय की जा चुकी थी। संदर्भित अवधि में आवंटित राशि का 62 प्रतिशत हिस्सा व्यय किया गया है। रूडा द्वारा विभिन्न कार्यक्रमों के लिए किये गये व्यय एवं लाभान्वितों की स्थिति कार्यक्रम के अनुसार निम्न प्रकार है :–

(1) ग्रामीण क्षेत्रों के दस्तकारों का स्वरोजगार हेतु क्षमतावर्द्धन :

ग्रामीण क्षेत्र में निवास कर रहे हस्तशिल्पियों की क्षमता में वृद्धि किये जाने के लिए विभिन्न प्रशिक्षण एवं अन्य कार्यक्रमों का संचालन किया जा रहा है। वर्ष 2004–05 में वर्ष 2006–07 तक की स्थिति का विवरण निम्न सारणी में उपलब्ध है :–

सारणी संख्या–16
दस्तकारों में क्षमतावर्द्धन की प्रगति

क्र. सं.	वर्ष	लाभान्वित (संख्या)			व्यय (लाख रुपये)			लाभान्वित प्रतिशत		व्यय प्रतिशत	
		पुरूष	महिला	योग	पुरूष	महिला	योग	पुरूष	महिला	पुरूष	महिला
1.	2004–05	1098	1170	2268	44.31	27.16	71.47	48.4	51.6	62.0	38.0
2.	2005–06	2136	1254	3390	46.48	27.30	73.78	63.0	37.0	63.0	37.0
3.	2006–07*	1443	1170	2613	36.36	29.74	66.10	55.2	44.8	55.0	45.0
	योग	**4677**	**3594**	**8271**	**127.15**	**84.20**	**211.35**	**56.5**	**43.5**	**60.2**	**39.8**

*** जनवरी,2007 तक**

चित्र संख्या–6
दस्तकारों में क्षमतावर्द्धन में लाभान्वित पुरूष एवं महिलाओं की संख्या

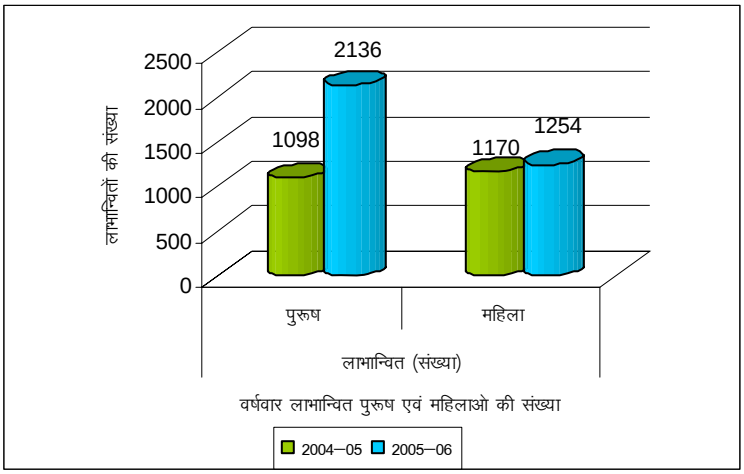

उक्त सारणी में उपलब्ध सूचना यह स्पष्ट करती है कि ग्रामीण क्षेत्रों के दस्तकारों को हस्तशिल्प की नई तकनीक/विधाओं की जानकारी देने के लिए रूडा ने वर्ष 2004–05 से 2006–07 तक की अवधि में 211.35 लाख रुपये व्यय किये। इस व्यय से 8271 ग्रामीण दस्तकारों को लाभान्वित किया गया। वर्ष 2004–05 में कुल लाभान्वितों में से 51.6 प्रतिशत महिला दस्तकारों को नई तकनीक की जानकारी दी गई परन्तु वर्ष 2005–06 में महिला दस्तकारों की संख्या में पुरूष दस्तकारों की तुलना में कमी आई तथा लाभान्वित महिला दस्तकारों का प्रतिशत 37 प्रतिशत रहा। वर्ष 2006–07 में स्थिति में सुधार हुआ तथा लाभान्वित महिला दस्तकारों का प्रतिशत 44.8 हो गया। इस स्थिति का अवलोकन करने पर यह स्पष्ट होता है कि संदर्भित तीन वर्षों की अवधि में कुल लाभार्थियों में से महिला लाभान्वित दस्तकारों का प्रतिशत 43.5 रहा है जबकि पुरूष लाभान्वित शिल्पियों का प्रतिशत 56.5 रहा है। पुरूष दस्तकारों को प्रशिक्षण देने अथवा दक्षता में वृद्धि किये जाने पर कुल व्यय की 60.2 प्रतिशत राशि व्यय की गई तथा महिला दस्तकारों पर 39.8 प्रतिशत राशि व्यय किये जाने की सूचना प्राप्त हुई है।

इस कार्यक्रम के अन्तर्गत ग्रामीण दस्तकारों की क्षमतावर्द्धन के लिए ग्रामीण दस्तकारों का समूह बनाकर रूडा द्वारा सम्बन्धित दस्तकारों के अनुभवी व्यक्ति को मास्टर क्राफ्टस मैन बनाकर ग्राम में भेजा जाता है। यह मास्टर क्राफ्टस मैन ग्रामीण दस्तकारों को नई विधाओं/तकनीक से अवगत करवाता है। वर्तमान में यह प्रशिक्षण ग्रामीण क्षेत्र के परम्परागत कार्यों के लिए जैसे– कुम्हारी कार्य, चर्म कार्य, कपड़ा बुनाई, लोहारी कार्य आदि कार्यों के लिए उपलब्ध करवाया जा रहा है।

(2) **स्वर्ण जयन्ती ग्राम स्वरोजगार योजना :**

राज्य के आदिम जाति बाहुल्य ग्रामीण क्षेत्रों के दस्तकारों के उत्पादों को मुख्य धारा से जोड़ने के उद्देश्य से ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा 526 लाख रुपये की लागत से रूडा के लिये यह विशेष परियोजना स्वीकृत की गयी है। यह परियोजना राज्य के उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा तथा राजसमंद जिलों में क्रियान्वित की जा रही है। दो चरणों में पूरी होने वाली इस योजना के अन्तर्गत इन चार जिलों के कुल 2960 दस्तकार परिवारों को दक्षतावर्द्धन प्रशिक्षण, डिजाईन उत्पाद विकास कार्यशाला तथा विपणन सहायता के द्वारा लाभान्वित किया जावेगा। इस कार्य में राज्य सरकार की संस्था आई.आई.सी.डी. एवं जिलों में कार्यरत एन.जी.ओ. की पहचान की गयी है तथा उनके साथ अनुबन्ध पूर्ण कर लिया गया है। जिलेवार एन.जी.ओ. का विवरण निम्नानुसार है :–

I.	उदयपुर	–	आई.एफ.एफ.डी.सी.
II.	डूंगरपुर	–	आई.एफ.एफ.डी.सी.
III.	बांसवाड़ा	–	ग्रामीण विकास ट्रस्ट
IV.	राजसमंद	–	विश्वास संस्थान

परियोजना के जिलों में इन एन.जी.ओ. की सहायता से प्रथम चरण में अब तक 1575 परिवारों के 118 स्वयं सहायता समूहों का गठन पूर्ण किया जा चुका है तथा अब इन समूहों का कौशल प्रशिक्षण प्रगति पर है।

परियोजना के अन्तर्गत उदयपुर मुख्यालय पर एक मुख्य संदर्भ केन्द्र स्थापित किये जाने का प्रावधान है जिसके लिये ग्रामीण विकास विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा भवन उपलब्ध करा दिया गया है। परियोजना के अन्तर्गत उपलब्ध वित्तीय संसाधनों से इस भवन में पूर्ण रूप से कम्प्यूटरीकृत डिजाईन बैंक स्थापित किया जावेगा तथा जनजाति क्षेत्रों के उत्पादों को नया रूप देने हेतु प्रदर्शन कक्ष एवं प्रशिक्षण कक्ष स्थापित किये जावेंगे। दस्तकारों की क्षमतावर्द्धन हेतु इस संदर्भ केन्द्र में आवश्यक पठन पाठन सामग्री तथा दृश्य–श्रव्य सामग्री का भी प्रावधान रखा गया है। यह संदर्भ केन्द्र माह सितम्बर,2007 तक कार्यशील होने की संभावना है।

जनजाति क्षेत्र के ग्रामीण दस्तकारों के उत्पादों को मुख्य धारा में जोड़ने के कार्यक्रम द्वारा लाभान्वित पुरूष एवं महिला दस्तकारों तथा व्यय की स्थिति निम्न सारणी में उपलब्ध है :–

सारणी संख्या–17
स्वर्ण जयन्ती ग्राम स्वरोजगार योजना

क्र. सं.	वर्ष	लाभान्वित (संख्या)			व्यय (लाख रुपये)			लाभान्वित प्रतिशत		व्यय प्रतिशत	
		पुरूष	महिला	योग	पुरूष	महिला	योग	पुरूष	महिला	पुरूष	महिला
1.	2004–05	277	265	542	5.97	5.75	11.72	51.1	48.9	50.9	49.1
2.	2005–06	534	737	1271	12.02	16.58	28.60	42.0	58.0	42.0	58.0
3.	2006–07*	585	807	1392	14.35	19.80	34.15	42.0	58.0	42.0	58.0
	योग	**1396**	**1809**	**3205**	**32.34**	**42.13**	**74.47**	**43.6**	**56.4**	**43.4**	**56.6**

*** जनवरी,2007 तक**

उक्त सारणी में उपलब्ध सूचना के अनुसार स्वर्ण जयन्ती स्वरोजगार कार्यक्रम के अन्तर्गत जनजाति क्षेत्र के ग्रामीण दस्तकारों के उत्पादों को मुख्य धारा से जोड़ने के कार्य में महिला दस्तकारों को दिये गये लाभ की स्थिति अच्छी प्रतीत होती है। वर्ष 2004–05 में कुल लाभार्थियों में से महिला लाभान्वित दस्तकारों का प्रतिशत 48.9 रहा। वर्ष 2005–06 में इस स्थिति में वृद्धि हुई तथा लाभान्वित महिलाओं का प्रतिशत 58 हो गया। वर्ष 2006–07 में भी लाभान्वित की गई महिलाओं का प्रतिशत 58 रहा। योजना के अन्तर्गत व्यय भी लाभान्वित पुरूष दस्तकारों एवं महिला दस्तकारों की संख्या के अनुरूप ही किया गया है।

(3) जिला गरीबी उन्मूलन परियोजना :

राज्य के चुने गये 7 जिलों, जिनमें गरीबी अधिक है, में विश्व बैंक के वित्त पोषण से यह जिला गरीबी उन्मूलन परियोजना सम्पादित की जा रही है। इन 7 जिलों बारां, चूरू, दौसा, धौलपुर, झालावाड़, राजसमन्द एवं टोंक के गरीबी की रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले व्यक्तियों को गैर कृषि क्षेत्र में आजीविका के अवसर प्रदान करने हेतु रूडा को 401 समान रूची समूहों को विभिन्न दस्तकारी कलाओं में दक्षता प्रशिक्षण दिये जाने का दायित्व सौंपा गया है। रूडा को यह दायित्व माह जून,2007 तक पूर्ण करना है। इन 401 समान रूची समूहों में से 303 समान रूची समूहों का प्रशिक्षण पूर्ण किया जा चुका है। शेष समूहों का प्रशिक्षण शीघ्र प्रारम्भ करने की कार्यवाही की जा रही है। उक्त कार्य के उपरान्त रूडा अपनी विशेषज्ञता के अनुरूप इन कलाओं के कलस्टर विकास का कार्य इस योजना के अन्तर्गत प्रारम्भ करेगा जिसके लिये प्रस्ताव सम्बन्धित अधिकारियों को प्रेषित कर दिये गये हैं। 401 समान रूची समूहों के प्रशिक्षण एवं उन्हें विपणन सहायता उपलब्ध कराने के कार्य पर रूडा द्वारा 112 लाख रुपये की राशि व्यय की जावेगी।

राज्य के चयनित सात गरीबतम जिलों में स्वरोजगार हेतु क्षमतावर्द्धन कार्यक्रम के अन्तर्गत गत 3 वर्षों में सम्पन्न कार्यों का विवरण निम्न सारणी में उपलब्ध है :–

सारणी संख्या–18
जिला गरीबी उन्मूलन परियोजना

क्र. सं.	वर्ष	लाभान्वित (संख्या)			व्यय (लाख रुपये)			लाभान्वित प्रतिशत		व्यय प्रतिशत	
		पुरूष	महिला	योग	पुरूष	महिला	योग	पुरूष	महिला	पुरूष	महिला
1.	2004–05	505	570	1075	11.00	12.40	23.40	47.0	53.0	47.0	53.0
2.	2005–06	1033	1685	2718	25.24	41.20	66.44	38.0	62.0	38.0	62.0
3.	2006–07*	420	852	1272	8.63	17.52	26.15	33.0	67.0	33.0	67.0
	योग	**1958**	**3107**	**5065**	**44.87**	**71.12**	**115.99**	**38.7**	**61.3**	**38.7**	**61.3**

* जनवरी,2007 तक

चित्र संख्या–7
जिला गरीबी उन्मूलन परियोजना में लाभान्वित पुरूष एवं महिलाओं की संख्या

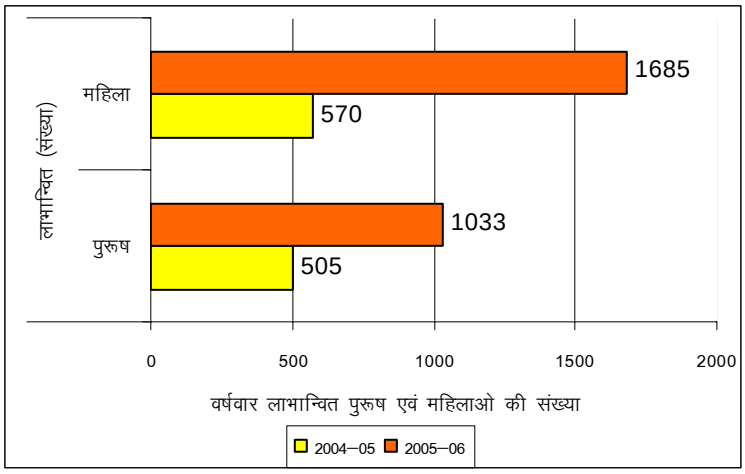

उक्त सारणी में उपलब्ध सूचना के अनुसार जिला गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम के अन्तर्गत 7 जिलों में किये गये कार्यों से संदर्भित अवधि में कुल 5065 व्यक्तियों को लाभ दिया गया। इनमें से 3107 महिलायें तथा 1958 पुरूष सम्मिलित है। इस स्थिति के विवरण के अनुसार वर्ष 2004–05 में 570 महिलाओं तथा 505 पुरूषों को लाभान्वित किया गया अर्थात् 53 प्रतिशत महिलाओं को लाभान्वित किया गया। वर्ष 2005–06 में महिलाओं की भागीदारी में प्रगति हुई तथा इनकी भागीदारी 62 प्रतिशत हो गई। वर्ष 2006–07 में लाभान्वित महिलाओं की स्थिति में और सुधार हुआ तथा इनका प्रतिशत 67 हो गया। इस सारणी में उपलब्ध सूचना इंगित करती है कि प्रत्येक वर्ष लाभान्वित पुरूषों की तुलना में लाभान्वित महिलाओं की संख्या में वृद्धि हुई है। योजना के अन्तर्गत महिला एवं पुरूषों पर किये गये व्यय की स्थिति भी उनकी संख्या के अनुरूप ही है।

(4) चर्म क्षेत्र के दस्तकारों के लिए उत्पाद विकास एवं क्षमतावर्द्धन :

केन्द्रीय चर्म अनुसंधान संस्थान, चेन्नई द्वारा राजस्थान प्रदेश के चर्म दस्तकारों के कौशल उन्नयन के उद्देश्य से यह विशेष योजना स्वीकृत की गयी है। इस योजना का प्रथम चरण माह सितम्बर,2006 में पूर्ण किया जा चुका है, जिसमें 15.54 लाख रुपये की लागत से राज्य के 614 चर्म दस्तकार परिवारों की मेन्टर पद्धति के कला उन्नयन किया जाकर लाभान्वित किया गया। यह कार्यक्रम जयपुर जिले के उदयपुरिया, चौमू तथा सांवरदा गाँवों में तथा अलवर जिले के बानसूर, इस्माईलपुर पर घासोली गाँवों में चलाया गया। प्रथम चरण के समापन पर परियोजना के अन्तर्गत एक आधुनिक डिजाईन कार्यशाला जयपुर में आयोजित की गयी जिसमें लाभान्वित दस्तकारों के अतिरिक्त केन्द्रीय चर्म अनुसंधान संस्थान, चैन्नई के चर्म विशेषज्ञों ने भाग लिया।

माह अक्टूबर,2006 से उक्त योजना का द्वितीय चरण प्रारम्भ किया जा चुका है जो कि 31 मार्च,2007 तक की अवधि के लिये स्वीकृत किया गया है। इस द्वितीय चरण के अन्तर्गत जोधपुर, जालौर तथा बाड़मेर जिलों के 800 चर्म दस्तकारों को लाभान्वित किये जाने का लक्ष्य है, जिनसे आधुनिक चर्म उत्पाद, मोजड़ी एवं चर्म शोधन का प्रशिक्षण मेन्टर पद्धति के माध्यम से प्रदान किया जावेगा। परियोजना की कुल लागत 22 लाख रुपये आंकी गयी है, जिसमें से 85 प्रतिशत अंशदान केन्द्रीय चर्म अनुसंधान संस्थान द्वारा दिया जावेगा तथा 15 प्रतिशत अंशदान जो कि लगभग 3.30 लाख रुपये होता है राज्य सरकार के द्वारा वहन किया जावेगा। परियोजना का कार्य प्रारम्भ हो चुका है तथा मेन्टर पद्धति से प्रशिक्षण प्रगति पर है। परियोजना अवधि के अन्त में अर्थात् मार्च,2007 के अन्तिम सप्ताह में परियोजना का समापन क्रेता–विक्रेता सम्मेलन आयोजित किया जाकर सम्पन्न किया जावेगा।

चर्म क्षेत्र के दस्तकारों के लिए उत्पाद विकास एवं क्षमतावर्द्धन हेतु किये गये कार्यों का विवरण निम्न सारणी में उपलब्ध है :–

सारणी संख्या–19

चर्म क्षेत्र में उत्पाद विकास एवं क्षमतावर्द्धन

क्र. सं.	वर्ष	लाभान्वित (संख्या)			व्यय (लाख रुपये)			लाभान्वित प्रतिशत		व्यय प्रतिशत	
		पुरूष	महिला	योग	पुरूष	महिला	योग	पुरूष	महिला	पुरूष	महिला
1.	2005–06	315	245	560	8.70	6.84	15.54	56.3	43.7	56.0	44.0
2.	2006–07*	126	56	182	3.00	1.35	4.35	69.2	30.8	69.0	31.0
	योग	**441**	**301**	**742**	**11.70**	**8.19**	**19.89**	**59.4**	**40.6**	**58.8**	**41.2**

*** जनवरी,2007 तक**

उक्त सारणी में उपलब्ध सूचकांक के अनुसार चर्म क्षेत्र में महिलाओं की भी भागीदारी कम नहीं है। वर्ष 2005–06 एवं 2006–07 में रूडा द्वारा संचालित कार्यक्रम में कुल 742 व्यक्तियों को लाभान्वित किया गया, इनमें से 301 (40.6 प्रतिशत) महिलाएं थी। वर्ष 2005–06 में कुल लाभान्वित व्यक्तियों में से 43.7 प्रतिशत महिलाएं लाभान्वित हुई, वर्ष 2006–07 में माह जनवरी तक 30.8 प्रतिशत महिलायें चर्म कार्य में क्षमतावर्द्धन कार्यक्रम से लाभान्वित की गई है। इस कार्यक्रम में महिला एवं पुरूषों पर किया गया व्यय लाभान्वित महिला एवं पुरूषों की संख्या के अनुसार ही किया गया है।

(5) **बानसूर चर्म क्लस्टर :**

राज्य के वित्तीय वर्ष 2005–06 के बजट घोषणा के अन्तर्गत उद्योग विभाग द्वारा जिन क्लस्टरों के विकास का कार्य हाथ में लिया गया है उनमें अलवर जिले का बानसूर चर्म क्लस्टर भी है जिसको विकसित करने का दायित्व रूडा को सौंपा गया है। तीन वर्षों की अवधि में चलने वाली इस क्लस्टर विकास परियोजना के अन्तर्गत तीन वर्षों में अनुमानतः 143.18 लाख रुपये की लागत आवेगी जिसकी प्रशासनिक स्वीकृति राज्य सरकार के स्तर से प्राप्त हो चुकी है। चालू वित्तीय वर्ष के दौरान इस योजना के अन्तर्गत सम्पादित की जाने वाली गतिविधियों पर 34.25 लाख रुपये का आवंटन राज्य सरकार के द्वारा स्वीकृत किया गया है एवं इस क्रम में 21.90 लाख रुपये की राशि निर्मुक्त की गयी है। इस राशि में से 12 लाख रुपये की राशि सामान्य सुविधा केन्द्र के विकास पर खर्च की जायेगा। क्षेत्र के चर्म दस्तकारों को संगठित कर उनके स्वयं सहायता समूह बनाने का कार्य प्रारम्भ कर दिया गया है तथा जनवरी के अन्त तक क्षेत्र में ग्राम इस्माईलपुर में 12 तथा ग्राम घासोली में 6 स्वयं सहायता समूहों का निर्माण पूर्ण कर लिया गया है तथा इन समूहों के बैंक खाते खुलवाये जा चुके हैं। समूह के सदस्यों की प्रशिक्षण आवश्यकताओं का आकलन करने के उद्देश्य से प्रत्येक परियोजना के गाँव में दो दिवसीय आमुखीकरण शिविर आयोजित किये जा रहे हैं, जिसके अन्तर्गत चर्म दस्तकारों को परियोजना के बारे में जानकारी उपलब्ध कराई जायेगी तथा चर्म उपक्षेत्र में हो रहे नवाचार के सम्बन्ध में संक्षेप में बतलाया जावेगा। इसके आधार पर निकलकर आने वाले प्रशिक्षण आवश्यकताओं का आकलन कर इस प्रकार के प्रशिक्षणों की व्यवस्था सुनिश्चित की जावेगी। स्वयं सहायता समूहों के सदस्यों को आगरा (उत्तरप्रदेश) की चर्म संस्थाओं एवं चर्म बाजार की एक्सपोजर विजिट आयोजित की जा चुकी है जिससे 20 चर्म दस्तकार लाभान्वित हुए हैं। इस एक्सपोजन विजिट में चर्म दस्तकारों को बाजार की आवश्यकताओं एवं चर्म उपक्षेत्र में हो रहे नवाचार के सम्बन्ध में ताजा जानकारी प्राप्त हुई है। एक्सपोजर विजिट पर 20 हजार रुपये की राशि व्यय हुई है। इसके अतिरिक्त परियोजना के अन्तर्गत लाभार्थी दस्तकारों का स्वास्थ्य परीक्षण, नेत्र तथा अस्थि रोगों के जाँच शिविर लगाये जाने का प्रावधान है जो कि मार्च,2007 के अन्त तक पूर्ण कर लिये जावेगें। जो दस्तकार पहले से चर्म उत्पाद तैयार करते आये हैं तथा कार्य में दक्षता रखते हैं ऐसे 4 दस्तकारों को

अपने स्वयं के तथा समूह के अन्य सदस्यों के उत्पादों को चेन्नई तथा कोलकाता में आयोजित विपणन मेलों में योजना के अन्तर्गत भेजा गया जिससे 40 चर्म दस्तकारों को अपने उत्पादों का राष्ट्रीय स्तर पर विपणन करने का अवसर योजना के अन्तर्गत प्राप्त हुआ। इस गतिविधि पर 20000/–रुपये की राशि व्यय हुई है।

(6) कोटा डोरिया क्लस्टर विकास परियोजना :

राज्य सरकार की बजट घोषणाओं के अन्तर्गत वर्ष 2005–06 के दौरान कोटा डोरिया के हाथकर्घा बुनकरों के हितार्थ कोटा डोरिया क्लस्टर विकास परियोजना की स्वीकृति राज्य सरकार द्वारा प्रदान की गयी थी तथा परियोजना को क्रियान्वित करने का दायित्व रूडा को सौंपा गया है। चालू वित्तीय वर्ष के दौरान परियोजना के अन्तर्गत 176.44 लाख रुपये की कुल लागत के विरूद्ध 69.79 लाख रुपये की राशि राज्य सरकार द्वारा रूडा के लिये स्वीकृत की गयी। परियोजना की गतिविधियों के अन्तर्गत जहाँ एक ओर कोटा डोरिया बुनकरों की कला उन्नयन फैशन डिजाईनरों के सहयोग के कराया जा रहा है वहीं दूसरी ओर बुनकरों के कल्याण हेतु कोटा जिले के कैथून तथा बारां जिले के मांगरोल कस्बों में नेत्र जाँच शिविर एवं सामान्य स्वास्थ्य जाँच शिविर आयोजित किये गये हैं जिनमें क्रमशः 215 व 162 बुनकर लाभान्वित हुए हैं। यही नहीं रोटरी क्लब जैसी समाज सेवी संस्था के सहयोग से भी क्षेत्र में एक स्वास्थ्य जाँच शिविर आयोजित किया जा चुका है जिसमें 265 बुनकरों को लाभान्वित किया गया है। परियोजना के अन्तर्गत कोटा डोरिया बुनकरों के 124 बचत एवं स्वयं सहायता समूहों का गठन किया जा चुका है तथा इन समूह के सदस्यों को नियमित रूप से बचत करने एवं पारस्परिक लेन–देन करने के लिये क्षमतावर्द्धन किया जा रहा है। कैथून नगरपालिका क्षेत्र में 50 बीघा भूमि कोटा डोरिया रिसोर्स सेन्टर हेतु आवंटित कर दी गयी है एवं इस रिसोर्स सेन्टर को विकसित करने का दायित्व रीको को सौंपा गया है जिन्होंने वास्तुविदों के माध्यम से प्रस्तावित सेन्टर का नक्शा तैयार करा लिया है तथा आगे की कार्यवाही प्रारम्भ कर दी है।

कोटा डोरिया के बुनकर उत्पादों को आधुनिक बाजार में लोकप्रिय बनाने के उद्देश्य से एक कोटा डोरिया डॉक्यूमेन्टरी फिल्म तैयार कराई गयी है जिसको देश एवं विदेश में विभिन्न स्थानों पर प्रदर्शित करने की व्यवस्था की जा रही है। वित्तीय वर्ष के दौरान माह अक्टूबर,2006 में बैंगलोर में आयोजित ''कैसल'' इंडिया मेन्स वेयर फैशन शो में कोटा डोरिया कपड़े के पुरूषों के परिधानों का प्रदर्शन कराया गया, जिसके फलस्वरूप कोटा डोरिया कपड़े की लोकप्रियता में वृद्धि हुई है। इसके अतिरिक्त कोटा डोरिया के बुनकरों को अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर बाकू अजर बेजान (सोवियत रूप) एवं कराची व लाहौर पाकिस्तान में आयोजित विपणन मेलों में अपने उत्पाद बेचने का अवसर प्रदान कराया गया। इसके अतिरिक्त कोटा डोरिया के लगभग 125 बुनकरों को अपने उत्पादों के विपणन हेतु राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित मेले और

प्रदर्शनियों में स्टॉल उपलब्ध कराकर अवसर प्रदान किया गया। इनमें भारतीय अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मेला, नई दिल्ली व गारमेन्ट फेयर, जयपुर उल्लेखनीय हैं। इसके अतिरिक्त देश के अन्य भागों में आयोजित मेलों में भी इन बुनकरों को विपणन का अवसर उपलब्ध कराया गया है।

कोटा डोरिया के बुनकरों की विशेष पहचान बनी रहे इसके उद्देश्य से कोटा डोरिया का वस्त्र तैयार करने वाले 1297 बुनकरों को उद्योग विभाग के माध्यम से परिचयन पत्र प्रदान कराये गये हैं। रूडा द्वारा लाभान्वित की गई महिलाओं की संख्या की जानकारी उपलब्ध नहीं करवाई गई है।

(7) तालछापर (जिला–चूरू) हस्तशिल्प उत्पादन परियोजना :

तालछापर कृष्णमृग अभयारण्य (जिला चूरू) के चारों ओर बसे ग्रामों में रहने वाली गरीबी की रेखा से जीवनयापन करने वाली महिलाओं के लिए वन विभाग एवं रूडा के संयुक्त तत्वाधान में यह परियोजना प्रारम्भ की गयी है। परियोजना के अन्तर्गत इन महिलाओं को स्वयं सहायता समूहों एवं बचत साख समूहों के रूप में संगठित किया गया है तथा इन्हें वन उत्पादों पर आधारित हस्तशिल्प के उत्पाद तैयार करने का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। इस प्रकार तैयार किये गये उत्पादों को ऐसे स्थानों पर प्रदर्शनी एवं विक्रय हेतु रखा जायेगा जहाँ पर पर्यटक बड़ी संख्या में आते हैं। इस प्रकार से इन गरीब महिलाओं को स्थायी रोजगार एवं आर्थिक आत्मनिर्भरता का अवसर प्राप्त हो सकेगा।

वर्तमान में यह परियोजना चूरू जिले की सुजानगढ़ पंचायत समिति के 4 गाँवों जो कि उक्त अभ्यारण्य के चारों ओर बसे हैं, में प्रारम्भ की गई है। इन गाँवों के नाम इस प्रकार है :–

I. देवाणी
II. सूरवास
III. गोपालपुरा
IV. चाड़वास

इन गाँवों की 82 महिलाओं को विभिन्न स्वयं सहायता एवं बचत साख समूहों में संगठित कर लिया गया है, इन्हें विभिन्न प्रकार के आकर्षक हस्तशिल्प उत्पादन तैयार करने का प्रशिक्षण दिया जा रहा है।

चालू वित्तीय वर्ष के दौरान इस परियोजना पर अनुमानतः 4 लाख रुपये की राशि का व्यय होने की संभावना है। उत्पादों में प्रयोग में आने वाले एवं स्थानीय रूप से उपलब्ध वन उत्पाद निःशुल्क रूप से वन विभाग द्वारा इन महिला समूहों को उपलब्ध कराया जा रहा है। प्रशिक्षण कार्यक्रम में भाग लेने के फलस्वरूप इन महिलाओं के दैनिक पारिश्रमिक की क्षतिपूर्तिस्वरूप प्रत्येक उपस्थिति के लिये प्रत्येक महिला को 20 रुपये की राशि दिये जाने का प्रावधान इस योजना के अन्तर्गत रखा गया है। परियोजना की समाप्ति पर यह महिलाऐं आधुनिक बाजार की आवश्यकता के अनुरूप आकर्षक हस्तशिल्प उत्पाद तैयार करने की दक्षता अर्जित कर लेगी जो कि उनकी आर्थिक आत्मनिर्भरता की दिशा में पहला कदम होगा।

(8) दस्तकारों के कल्याण हेतु विभिन्न परियोजनाएं :

रूडा द्वारा ग्रामीण क्षेत्र में ग्रामीण दस्तकारों के हितों के लिए अन्य कार्यक्रमों का संचालन भी किया जा रहा है, इनमें डिजाइनिंग प्रशिक्षण, विपणन कार्य, कला दक्षता, प्रशिक्षण आदि सम्मिलित है। इन कार्यक्रमों पर रूडा द्वारा किये गये कार्यों का विवरण निम्न सारणी में देखा जा सकता है :–

सारणी संख्या–20
दस्तकारों के कल्याण हेतु विविध परियोजनाएं

क्र. सं.	वर्ष	लाभान्वित (संख्या)			व्यय (लाख रुपये)			लाभान्वित प्रतिशत		व्यय प्रतिशत	
		पुरूष	महिला	योग	पुरूष	महिला	योग	पुरूष	महिला	पुरूष	महिला
1.	2004–05	333	84	417	8.35	2.10	10.45	79.9	20.1	79.9	20.1
2.	2005–06	385	150	535	4.56	1.75	6.31	72.0	28.0	72.3	27.7
3.	2006–07*	447	158	605	10.75	3.78	14.53	73.9	26.1	74.0	26.0
	योग	**1165**	**392**	**1557**	**23.66**	**7.63**	**31.29**	**74.8**	**25.2**	**75.6**	**24.4**

* जनवरी,2007 तक

चित्र संख्या–8
दस्तकारों के कल्याण हेतु विविध परियोजनाओं में लाभान्वित पुरूष एवं महिलाओं की संख्या

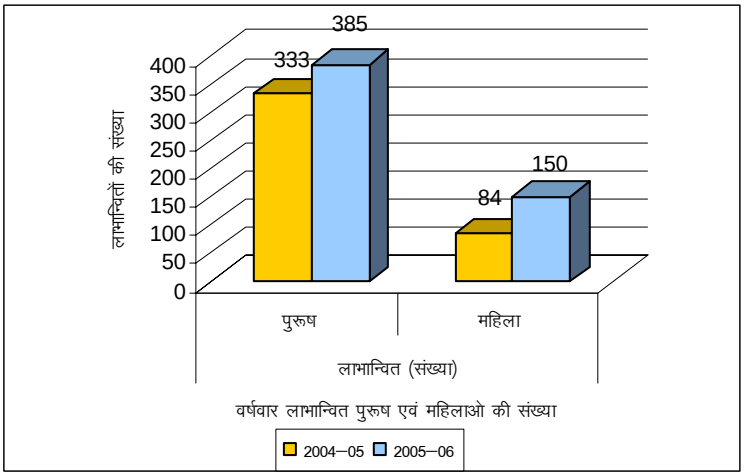

उक्त सारणी में उपलब्ध सूचना के अनुसार रूडा द्वारा संचालित विभिन्न कार्यक्रमों में वर्ष 2004–05 में कुल लाभार्थियों में से 20.2 प्रतिशत लाभार्थी महिलायें रही। वर्ष 2005–06 में महिला लाभार्थियों की संख्या में वृद्धि हुई तथा कुल लाभार्थियों में से महिला लाभार्थियों का प्रतिशत 28 हो गया। वर्ष 2006–07 में माह जनवरी,2007 तक 26.1 प्रतिशत महिलाओं को लाभ दिया गया। संदर्भित अवधि में कुल लाभान्वितों में से 25.2 प्रतिशत महिलायें रही है।

ग्रामीण गैर कृषि विकास अभिकरण (रूडा) द्वारा ग्रामीण क्षेत्र के दस्तकारों के हित के लिए संचालित कार्यक्रमों/योजनाओं की स्थिति/प्रगति की स्थिति का विवरण एक साथ देखने का प्रयास किया गया। इसका विवरण निम्न सारणी में उपलब्ध है :–

सारणी संख्या–21
रूडा द्वारा संचालित कार्यक्रम में लाभान्वितों की स्थिति

क्र. सं.	वर्ष	लाभान्वित (संख्या)			व्यय (लाख रुपये)			लाभान्वित प्रतिशत		व्यय प्रतिशत	
		पुरूष	महिला	योग	पुरूष	महिला	योग	पुरूष	महिला	पुरूष	महिला
1.	2004–05	2213	2089	4302	69.63	47.41	117.02	51.4	48.6	59.5	40.5
2.	2005–06	4403	4071	8474	97.00	93.67	190.67	52.0	48.0	50.9	49.1
3.	2006–07*	3011	3043	6054	73.09	72.19	145.28	49.7	50.3	50.3	49.7
	योग	**9627**	**9203**	**18830**	**239.72**	**213.27**	**452.97**	**51.1**	**48.9**	**52.9**	**47.1**

* जनवरी,2007 तक

चित्र संख्या–9
रूडा द्वारा संचालित कार्यक्रम में लाभान्वित पुरूष एवं महिलाओं की संख्या

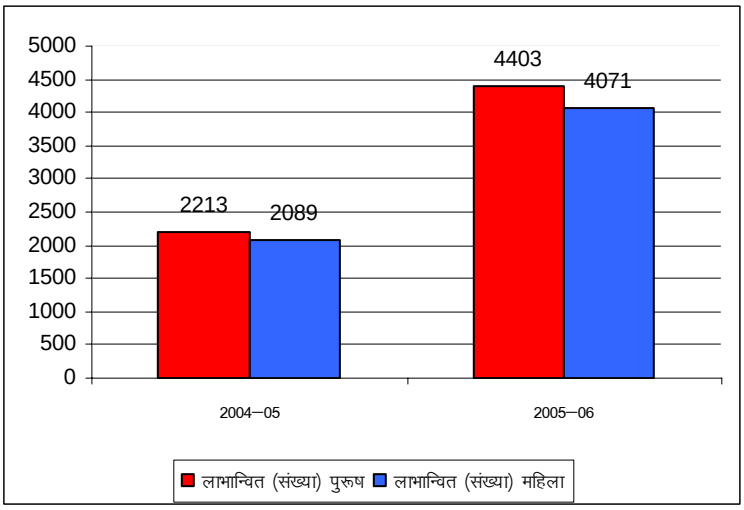

उक्त सारणी रूडा द्वारा गत 3 वर्षों की अवधि में संचालित कार्यक्रमों/ योजनाओं की स्थिति स्पष्ट करती है कि महिला दस्तकारों को पर्याप्त लाभ दिया गया है। वर्ष 2004–05 में कुल लाभार्थियों में से लाभान्वित महिला दस्तकारों का प्रतिशत 48.6, वर्ष 2005–06 में 48.0 प्रतिशत एवं वर्ष 2006–07 में जनवरी,2007 तक यह 50.3 प्रतिशत था। गत तीन वर्षों की अवधि में कुल लाभान्वितों में से महिला लाभान्वित दस्तकारों का प्रतिशत 48.9 रहा। ग्रामीण दस्तकारों के हित के लिए वर्ष 2004–05 में कुल व्यय का 40.5 प्रतिशत, वर्ष 2005–06 में 49.1 प्रतिशत तथा वर्ष 2006–07 में 49.7 प्रतिशत हिस्सा व्यय किया गया। उक्त स्थिति को देखने पर यह कहा जा सकता है कि रूडा द्वारा ग्रामीण महिला दस्तकारों को दी जा रही सहायता सन्तोषजनक है।

2.6 राजस्थान वित्त निगम :

राजस्थान वित्त निगम राज्य में औद्योगिक इकाईयों को ऋण उपलब्ध करवाता है। वित्त निगम द्वारा संचालित महिला उद्यम निधि योजना के अन्तर्गत वर्ष 2004–05 व वर्ष 2005–06 की अवधि में कुल 6 महिला उद्यमियों को लाभान्वित किया गया है। वर्ष 2004–05 में 4 महिलाओं को 45.00 लाख रुपये तथा वर्ष 2005–06 में 2 महिलाओं को 20.00 लाख रुपये की राशि इस योजना के अन्तर्गत उपलब्ध करवायी गई है।

2.7 भारतीय शिल्प संस्थान :

भारतीय शिल्प संस्थान द्वारा करवाये जा रहे प्रशिक्षणों में महिला प्रशिक्षणार्थियों की सूचना प्राप्त की गई। इस संस्थान द्वारा स्नातक एवं स्नातकोत्तर स्तर के पाठ्यक्रमों का संचालन किया जा रहा है। इस स्थिति का विवरण निम्न सारणी में उपलब्ध है :–

सारणी संख्या–22

भारतीय शिल्प संस्थान द्वारा प्रशिक्षण

क्र.सं.	वर्ष	महिलाओं की संख्या	
		स्नातक स्तर पर	स्नातकोत्तर स्तर पर
1.	2004–05	–	10
2.	2005–06	10	4
3.	2006–07	14	9

उक्त सारणी में उपलब्ध सूचना के अनुसार वर्ष 2005–06 में 10 तथा वर्ष 2006–07 में 14 महिलायें स्नातक स्तर पर अध्ययनरत रही है तथा वर्ष 2004–05 में 10, वर्ष 2005–06 में 4 तथा वर्तमान (वर्ष 2006–07) में 9 महिलायें भारतीय शिल्प संस्थान में स्नातकोत्तर स्तर की शिक्षा प्राप्त कर रही थी।

चित्र संख्या–10

भारतीय शिल्प संस्थान द्वारा स्नातक एवं स्नातकोत्तर स्तर पर प्रशिक्षण में लाभान्वित महिलाओं की संख्या

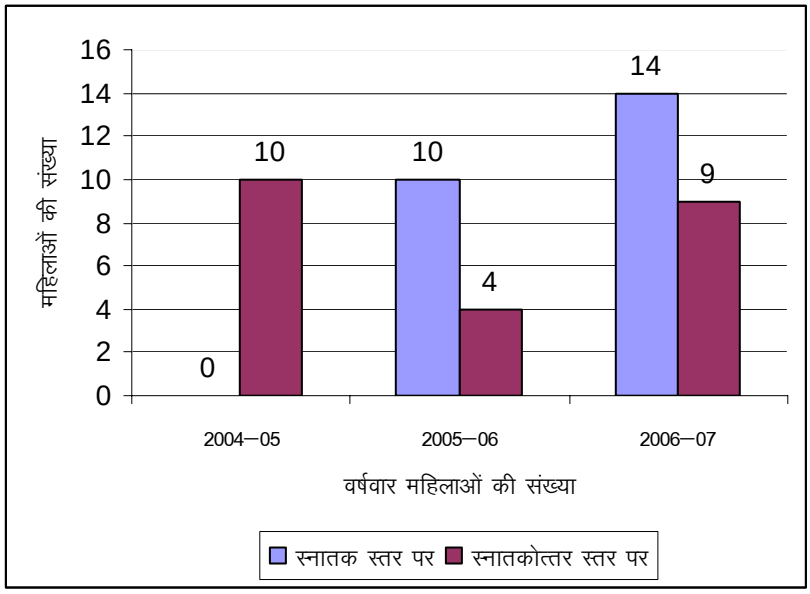

2.8 राजस्थान राज्य बुनकर सहकारी संघ लि.,जयपुर :

राजस्थान में सहकारिता के क्षेत्र में हाथकरघा उद्योग की प्रगति एवं प्राथमिक बुनकर समितियों के सामाजिक एवं आर्थिक विकास के साथ–साथ बुनकरों की कठिनाईयों को ध्यान में रखकर उनके निवारण हेतु 26 अगस्त,1957 को शीर्ष सहकारी संस्था के रूप में राजस्थान राज्य बुनकर सहकारी संघ लि., जयपुर का गठन किया गया है। संघ के मूल उद्देश्य निम्न प्रकार है :–

(i) प्राथमिक सदस्य सहकारी समितियों को कच्चा माल (सूत) उपलब्ध कराकर बुनकरों को रोजगार उपलब्ध कराना।

(ii) सदस्य समितियों द्वारा संघ के सूत या स्वयं के सूत से उत्पादित कपड़े के विपणन की व्यवस्था करना।

(iii) आधुनिक तकनीक एवं डिजाईन का बुनकरों को प्रशिक्षण देना एवं उच्च मूल्य के उत्पादों का उत्पादन करवाना।

(iv) प्राथमिक बुनकर सहकारी समितियों का बुनकर बाहुल्य क्षेत्र में गठन करवाना तथा उनके विकास हेतु योजनाऐं तैयार करना।

(v) सदस्य प्राथमिक सहकारी समितियों से निर्धारित मापदण्ड़ अनुसार उत्पादन करवाना, उत्पादित माल का संग्रहण करना तथा बिक्री का प्रबन्ध करना।

(vi) हाथकरघा उद्योग को प्रोत्साहन देने के लिए प्रतियोगिता एवं प्रदर्शनियों का आयोजन करना।

बुनकर संघ वर्तमान में 481 प्राथमिक बुनकर सहकारी समितियों का राज्य स्तरीय संघ है। संघ की सदस्यता अ, ब एवं स श्रेणी में विभाजित की गई है। अ श्रेणी में केन्द्रीय/क्षेत्रीय बुनकर सहकारी समितियाँ, ब श्रेणी में प्राथमिक बुनकर सहकारी समितियाँ एवं स श्रेणी में राज्य/भारत सरकार तथा उनके संगठन के प्रतिनिधि प्रतिनिधित्व करते हैं। प्रत्येक श्रेणी में क्रमशः 25 हिस्से, 5 हिस्से एवं 3 हिस्से निर्धारित हैं। वर्ष 2005–06 में जनवरी माह तक दो प्राथमिक बुनकर समितियों को सदस्यता प्रदान की गई है।

संघ द्वारा राज्यभर की प्राथमिक बुनकर सहकारी समितियों के माध्यम से बुनकरों को सूत उपलब्ध करवाकर उत्पादन कार्य करवाया जाता है। सूत प्रमुखतः नेशनल हैण्डलूम डवपलमेन्ट कार्पोरेशन, नेशनल टैक्सटाइल कार्पोरेशन अथवा राज्य में स्थिति सहकारी स्पिनिंग मिल्स से क्रय किया जाता है। वर्ष 2004–05 में संघ द्वारा कोई सूत आवंटन कर कपड़ा नहीं बनवाया गया। वर्ष 2005–06 में अब तक 37.60 लाख रुपये का सूत क्रय कर बुनकर समिति को आवंटित किया जा चुका हैं। 75000 मीटर कपड़े का निर्माण करवाया गया हैं जिसकी बुनाई की मजदूरी 10.00 लाख रुपये करीब का भुगतान किया गया है। इस वर्ष बुनकर संघ द्वारा स्वयं के कपड़े निर्माण एवं हाथकरघा समितियों को विपणन में सहयोग देकर लगभग 500 बुनकरों को नियमित रोजगार उपलब्ध कराया गया। इन बुनकरों में महिला बुनकरों की संख्या बुनकर संघ द्वारा उपलब्ध नहीं करवाई गई है। अतः विश्लेषण किया जाना संभव नहीं है।

2.9 उद्यमिता विकास एवं प्रबन्धकीय विकास संस्थान :

संस्थान द्वारा स्ववित्त पोषित/प्रायोजित आधार पर विभिन्न उद्यमिता विकास एवं उद्यमिता जागरूकता प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है। संस्थान का राज्य/केन्द्र सरकार द्वारा किसी भी योजना के अन्तर्गत बजट आवंटित नहीं किया जाता है। संस्थान द्वारा आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रमों से लाभान्वितों की संख्या निम्न सारणी में उपलब्ध है :–

सारणी संख्या–23

उद्यमिता विकास एवं प्रबन्धकीय विकास संस्थान द्वारा वर्ष 2004–05 से 2006–07 तक आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रम की स्थिति

क्र. सं.	मद	2004–05			2005–06			2006–07		
		पुरूष	महिला	योग	पुरूष	महिला	योग	पुरूष	महिला	योग
1.	उद्यमिता जागरूकता प्रशिक्षण कार्यक्रम	634	158	792	1146	395	1541	132	14	146

उक्त सारणी में उपलब्ध सूचना के अनुसार संस्थान द्वारा वर्ष 2004–05 की अवधि में 19 प्रशिक्षणों का आयोजन किया गया, इन प्रशिक्षणों में कुल 792 व्यक्तियों को लाभान्वित किया गया इनमें से 634 पुरूष (80 प्रतिशत) तथा 158 (20 प्रतिशत) महिला रही है। वर्ष 2005–06 में प्रशिक्षणार्थियों की संख्या 1541 रही थी इनमें 1146 पुरूष (74.4 प्रतिशत) तथा शेष 395 (25.6 प्रतिशत) महिला प्रशिक्षणार्थी रहे हैं। इस वर्ष संस्थान द्वारा 35 प्रशिक्षणों का आयोजन किया गया था। संस्थान द्वारा वर्ष 2006–07 में 6 प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किये गये, इनमें 146 व्यक्तियों को प्रशिक्षण दिया गया/जा रहा है। इन प्रशिक्षणों में महिलाओं की संख्या 14 (9.6 प्रतिशत) तथा पुरूषों की संख्या 132 (90.4 प्रतिशत) रही है। यह संख्या पूर्व के दो वर्षों की तुलना में कम रही है।

3.0 सुझाव :

राज्य में उद्योग क्षेत्र में महिला जेन्डर बजटिंग के सम्बन्ध में मुख्य रूप से निम्न सुझाव प्रस्तावित हैं :–

(1) उद्योग विभाग द्वारा संचालित कार्यक्रमों/योजनाओं के विवरण में महिलाओं पर किये जा रहे व्यय एवं लाभान्वित हो रही महिलाओं की संख्या के सम्बन्ध में सूचना नहीं रखी जाती है, अतः सुझाव है आगामी वर्षों में इस प्रकार की सूचना एकत्रित कर संकलित की जावें।

(2) उद्योग विभाग द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं/कार्यक्रमों की प्रगति के अवलोकन से ज्ञात होता है कि कई कार्यक्रमों में महिला लाभार्थियों का प्रतिशत कुल लाभान्वितों की तुलना में काफी कम है, अतः यह प्रयास किये जाने चाहिये कि अधिकांश व्यक्तिगत लाभकारी कार्यक्रमों में महिलाओं की भागीदारी 25–30 प्रतिशत तक हो।

(3) राजस्थान खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा संचालित कार्यक्रमों में लाभान्वित महिलाओं की संख्या एवं उन पर किये जा रहे व्यय की सूचना नहीं रखी जाती है। राज्य में एक बड़ी संख्या में महिलाओं द्वारा ऊन एवं सूत की कताई की जाती है। ग्रामों में बहुतायत से महिलायें गृह उद्योग के रूप में कार्यरत है तथा उनके जीवन यापन का भी एक साधन है, परन्तु बोर्ड द्वारा सूत कताई करने वाली महिलाओं की संख्या की जानकारी भी उपलब्ध नहीं करवाई जा सकी। बोर्ड द्वारा इस संख्या की जानकारी रखनी आवश्यक है।

(4) राज्य में महिला हस्तशिल्पियों की संख्या भी अच्छी है, परन्तु राजस्थान लघु उद्योग निगम द्वारा भी यह संख्या उपलब्ध नहीं करवाई जा सकी अतः राजस्थान लघु उद्योग निगम द्वारा प्रयास कर महिला हस्तशिल्पियों की संख्या हस्तशिल्प अनुसार ज्ञात करनी चाहिये।

(5) राज्य में महिला बुनकर भी कार्यरत है, उनकी संख्या भी बुनकर संघ द्वारा एकत्रित की जानी चाहिए।

(6) उद्योग क्षेत्र में, विशेष रूप से बड़े उद्योगों में महिलाओं की भागीदारी नगण्य रही है, इस दिशा में भी महिलाओं को प्रोत्साहन दिये जाने पर विचार किया जाना चाहिए।

(7) उद्योग विभाग/निगमों द्वारा विभिन्न व्यक्तिगत लाभकारी योजनाओं की मोनिटरिंग के फारमेट में आवश्यक परिवर्तन कर महिला लाभार्थियों की सूचना संकलित की जानी चाहिये।

4.0 निष्कर्ष :

राज्य में उद्योग एवं हस्तशिल्प के त्वरित विकास, मार्गदर्शन एवं आवश्यक सहायता व सुविधाएं उपलब्ध करवाने हेतु उद्योग विभाग कार्यरत है। जिला उद्योग केन्द्रों एवं निगमों के माध्यम से राज्य में उद्योग स्थापित करने हेतु मार्गदर्शन सहायता एवं सुविधाएं एक ही स्थान पर उपलब्ध करवायी जाती है। उद्योग विभाग एवं कार्यरत विभिन्न निगमों द्वारा संचालित कार्यक्रमों में व्यक्तिगत लाभ की योजनाएं/कार्यक्रम भी क्रियान्वित किये जा रहे हैं। इन योजनाओं में महिलाओं को भी अनुपातिक लाभ दिया जा रहा है। इनमें प्रधानमंत्री रोजगार योजना, करघाघर योजना, बुनकरों हेतु बीमा योजना, गृह उद्योग योजना, चर्म प्रशिक्षण, नमक उद्योग एवं खादी कार्यक्रम सम्मिलित है। ग्रामीण गैर कृषि विकास अभिकरण (रूडा) द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं में लाभान्वित की जा रही महिलाओं का प्रतिशत 40–45 प्रतिशत के मध्य है। उद्योग विभाग एवं निगमों द्वारा संचालित योजनाओं/कार्यक्रमों से लाभान्वित होने वाली महिलाओं की संख्या एवं व्यय की सूचना का संकलन किया जाना चाहिए ताकि स्थिति समय–समय पर विश्लेषण किया जाकर इस क्षेत्र में सकारात्मक कदम उठाये जा सके।

———